रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2000/आश्विन 3, 1922

No. 129] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2000/ASVINA 3, 1922

दि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया

(कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अधीन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2000

फा. सं. 104/28/लेखा.

परिषद की रिपोर्ट

प्रस्तावना

कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 18 की उपधारा (5) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की परिषद 31 मार्च 2000 की 20वीं वार्षिक रिपोर्ट और इस अवधि के लेखों का परीक्षित विवरण तथा उन पर इंस्टीट्यूट के कामकाज की लेखापरीक्षक रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

समीक्षाधीन वर्ष में इंस्टीट्यूट ने तेजी से बदल रहे परिदृश्य में उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नई सहस्राब्दी मे पक्के भरोसे से प्रवेश किया है। बीता वर्ष इंस्टीट्यूट के लिए एक और घटनापूर्ण वर्ष रहा। ह्रासोन्मुख अर्थव्यवस्था, रोजगार में मन्दी की स्थिति और विद्यार्थियों के पंजीकरण में धीरे-धीरे गिरावट के बावजूद इंस्टीट्यूट ने अपनी गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की कोशिश जारी रखी। व्यवसाय को और अधिक स्पष्ट रूप देने, इंस्टीट्यूट के सदस्यों द्वारा की जा रही सेवाओं को और अधिक मान्यता दिलाने तथा व्यवस्था को और मजबूत नींव पर खडा करने के प्रयास भी जारी रखे। इंस्टीट्यूट ने समीक्षाधीन वर्ष में मुख्यालय, क्षेत्रीय परिषदो और शाखाओ में पूरे वर्ष विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप और विकास कार्य अपने हाथ में लिए ताकि आज के विद्यार्थी जो कल हमारे सदस्य होंगे, वे अधिक सुरक्षित हो सकें और अपने लिए अपना विशेष स्थान बना सकें। कुछ महत्त्वपूर्ण नई घटनाओं का उल्लेख नीचे के पैराग्राफों में किया गया है।

2 नई घटनाएं

2.1 कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक 1999 की प्रस्तुति

कम्पनी सचिवों के व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष के दौरान एक महत्त्वपूर्ण और विवेचना घटना कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 को 23 दिसम्बर 1999 को लोक सभा में पेश किया गया। इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विधेयक के खण्ड 165 से सम्बन्धित है, जिसमें प्रावधान है कि ऐसी कोई भी कम्पनी जिसे धारा 383 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत पूर्णकालिक सचिव नियुक्त करना आवश्यक नहीं है और जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी दस लाख रूपए या इससे अधिक की है, उसे पूर्णकालिक प्रेक्टिसरत सचिव से ऐसे फार्म में और समय में इस बारे मे एक प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार को फाइल करना होगा और इसके लिए निर्धारित शर्तों को मानना होगा कि इस कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम के सभी प्रावधानो का अनुपालन किया है या नही।

इंस्टीट्यूट ने 26 फरवरी 2000 को कम्पनी विधेयक और निगम शासन पर एक विचार गोष्ठि का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन डॉ0 पी एल सजीव रेड्डी, सचिव, कम्पनी कार्य विभाग ने किया। इंस्टीट्यूट की क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओ ने भी कम्पनी (दूसरा सशोधन) विधेयक, 1999 पर कुछ विचार गोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित कीं। इन विचार गोष्ठियों/कार्यशालाओ में कुछ सुझाव मिले। इंस्टीट्यूट ने भी उक्त विधेयक पर अपने विचार और सुझाव सीधे भेजे, जिन्हें सरकार के पास विचारार्थ भेज दिया गया।

2.2 भावी योजना समूह की रिपोर्ट

परिषद ने मार्च 1996 मे भावी योजना समूह (पी पी जी) का गठन इस उद्देश्य से किया कि सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति और विश्व व्यापार सगठन के कारण व्यापार के बदलते परिदृश्य एवं इस उभरते निगम पर्यावरण मे कम्पनी सचिवों की भूमिका के अनुरूप 1989–91 मे तैयार की गई भावी योजना की समीक्षा की जाए और अद्यतन बनाया जाए, इस समूह ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1999 में प्रस्तुत कर दी।

इस समूह में जो सुझाव दिए, वे इस प्रकार हैं – प्रवेश आवश्यकताओं को कडा किया जाए, नई सहस्राब्दि की चुनौतियों के लिए सदस्यो को मुस्तैद बनाने के लिए नए पाठ्यक्रम अपनाए जाएं, परीक्षा स्तर को ऊचा उठाया जाए, व्यावहारिक प्रशिक्षण के पेटर्न, विधियों और विषय सूची को सुदृढ़ किया जाए, कुशलताओं को निरन्तर ऊंचा उठाया जाए तथा व्यावसायिक विकास एवं अनवरत शिक्षा कार्यक्रमो मे सदस्यो के लिए उपस्थिति अनिवार्य बना कर उनके ज्ञान को अद्यतन किया जाए, सदस्यों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावसायिक विकास तथा अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों का ढाचा तैयार किया जाए, अनुसधान संबधी गतिविधियों को मजबूत बनाया जाए और अच्छे किस्म के प्रकाशन निकाले जाएं, छवि–निर्माण तथा व्यवसाय की स्पष्टता बढ़ाने के लिए उपाए किए जाएं। परिषद ने इस समूह की सिफारिशो के आधार पर एक कार्य योजना तैयार की है।

2.3 पाठ्य विवरण

व्यवसाय की शक्ति अपने पाठ्यक्रम की विषय सूची के विन्यास, कार्य क्षेत्र और विस्तार में है। अतः यदि पाठ्यक्रम की विषय सूची को निगम क्षेत्र से सुसंगत विधियों और पद्धतियों में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप समय–समय पर संशोधित नहीं किया जाएगा तो यह पुरानी पड़ जाएगी और बेकार हो जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास, एस टी ओ मानदण्डो के कारण उत्पन्न चुनौतिया, आर्थिक उदारीकरण, नित्य नए अधिनियमों की स्थापना और वर्तमान विधियों में सशोधन–इन सभी के कारण पाठ्य विवरण में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता हो गई है। तदनुसार पिछले तीन वर्षों से इंस्टीट्यूट में एक प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रतिफल प्रस्तावित नया पाठ्य विवरण है। यह पाठ्य विवरण इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि रोजगार और प्रेक्टिस दोनों के बारे मे निर्देशात्मक परिवर्तन आए और भावी कम्पनी सचिव बदलते निगम, आर्थिक और व्यापार भू–दृश्य के कारण उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला पूरे विश्वास के साथ कर सकें। नए पाठ्य विवरण को सन 2000–2001 में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

2.4 प्रेक्टिसरत सदस्यों के लिए नए अवसर

इंस्टीट्यूट ने प्रेक्टिस के नए क्षेत्र तैयार करने और प्रेक्टिसरत सदस्यों के लिए नई मान्यताओ की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए निरन्तर प्रयास किया है जिसके सन्तोषजनक परिणाम समीक्षाधीन वर्ष में प्राप्त हुए हैं।

प्रतिभूति विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999 प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों को सेबी अधिनियम 1992, प्रतिभूति सविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 और डिपाजिटरीज एक्ट 1996 के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप मे प्रतिभूति अपीलीय अधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत करता है जिससे लम्बे समय से चली आ रही प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवो की मांग पूरी हो गई है। नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरीज लि0 (एन एस डी एल) और सेन्ट्रल डिपाजटरी सर्विसेज (इण्डिया) लि0 (सी डी एस) ने अपने उप–नियमों में संशोधन कर प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों को डिपाजिटरी आप्रेशन संबंधी भागीदारो के काम काज की आन्तरिक लेखापरीक्षा करने की अनुमति दे दी है। सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (कंडक्ट ऑफ बिजनेस) रेगुलशंस 1999 में भी प्राधिकृत प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव को प्राधिकृत

प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का प्राधिकार दिया है। टेलीकाम रेगुलेटरी अथारिटी ऑफ इण्डिया एक्ट, 1997 (यथा संशोधित) मे भी प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव को दूर संचार विवाद समाधान तथा अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का प्राधिकार दिया है। दि इंश्युरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथारिटी ने भी प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों की मान्यता के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान रखे हैं।

2.5 कम्पनी कार्य विभाग के सचिव डॉ0 पी एल संजीव रेड्डी का दौरा

हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि कम्पनी कार्य सचिव डॉ0 पी एल संजीव रेड्डी ने 5 मार्च 2000 को इंस्टीट्यूट का दौरा किया और परिषद को सम्बोधित किया। परिषद ने इस अवसर पर डॉ0 रेड्डी को इस्टीट्यूट की गतिविधियों, काम काज और भावी योजनाओ की जानकारी दी तथा उनसे कम्पनी सचिवों के व्यवसाय की स्पष्टता एव मनोबल को बढावा देने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करने पर जोर दिया। परिषद ने डॉ0 रेड्डी को कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 तथा कम्पनी सचिव अधिनियम एवं नियमावली मे किए जाने वाले संशोधनों के बारे में इंस्टीट्यूट के सुझाव भी प्रस्तुत किए। डॉ0 रेड्डी ने परिषद को आश्वासन दिया कि उनका विभाग व्यवसाय की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करेगा।

2.6 व्यावसायिक विकास और अनवरत शिक्षा कार्यक्रम

समीक्षाधीन वर्ष में सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम सहित 22 व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रेक्टिसरत कम्पनी सचियों का प्रथम राष्ट्रीय सममेलन आयोजित किया। प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन की उल्लेखनीय सफलता से उत्साहित होकर इसे प्रति वर्ष आयोजित करने का निर्णय किया गया है। रिपोर्ट के परिशिष्ट 'क' में ब्यौरा दिया गया है।

2.7 पूंजी बाजार और वित्तीय सेवाओं में पश्च सदस्यता अर्हता पाठ्यक्रम

पूंजी बाजार और वित्तीय सेवाओं के पश्च सदस्यता अर्हता पाठ्यक्रम (पी एम क्यू) के लिए 31 मार्च 2000 तक इस्टीट्यूट के 334 सदस्यों ने अपना पंजीकरण करा लिया था। पी एम क्यू पाठ्यक्रम पांचवें और छठे सत्र की परीक्षाएं क्रमशः जून 1999 और दिसम्बर 1999 मे हुईं; यह परीक्षाएं बंगलौर, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुम्बई में हुईं।

2.8 निगम अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए आई सी एस आई–केन्द्र

निगम अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए आई सी एस आई–केन्द्र का उद्घाटन मुम्बई में हुआ और 16 मई 1999 को आई सी आई – सी सी आर टी सलाहकार बोर्ड के अवैतनिक अध्यक्ष, भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एव अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग श्री जस्टिस एम.एन. वैंकटचलैया की अध्यक्षता मे एक शानदार समारोह में भारत के उच्चतम न्यायालय के सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉ0 जस्टिस ए. एस. आनन्द ने इसका उद्घाटन किया। अगस्त 1999 में डीन की नियुक्ति के बाद आई सी आई–सी सी आर टी ने पूरी तरह अपना काम काज शुरू कर दिया है तथा इस प्रकार के व्यावसायिक संस्थानों में इसकी विशेष प्रतिष्ठा बन गई है।

2.9 सहयोगी व्यावसायिक निकायों के साथ परस्पर परामर्श

2.9.1 आई सी एस आई, आई सी ए आई और आई सी डब्ल्यू ए आई की समन्वय समिति की बैठक

इस वर्ष तीन संस्थानों के बीच और अधिक सहमति तथा मेलजोल बिठाने के बारे में किए गए प्रयासों को सफलता मिली है क्योंकि इस वर्ष आपसी हितो के मामलों पर, जिनमें विश्व व्यापार सगठन की स्थापना से उत्पन्न विषय भी शामिल है, चर्चा के लिए आई सी एस आई, आई सी ए आई और आई सी डब्ल्यू ए आई के बीच अनेक बैठकें हुईं। आपसी सहयोग और सहमति के जिन क्षेत्रों की पहचान हुई, उनमें तीन संस्थानों के सदस्यों के बीच सहभागिता, पारस्परिक रूप से परीक्षा–पत्रों में छूट, प्रशिक्षण के बारे में पारस्परिक मान्यता और तीनो संस्थानों के एक समान प्रश्न पत्रों पर संयुक्त रूप से अध्ययन नोट तैयार करने जैसे विषय शामिल रहे। सहयोग के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में माडेलिटीज तैयार करने के लिए उप–समूह गठित किए गए हैं।

2.9.2 अमेरीकन सोसाइटी ऑफ कार्पोरेट सेक्रेटरीज के साथ बात चीत

इंस्टीट्यूट ने आपसी लाभ के लिए निकट सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कार्पोरेट सेक्रेटरीज के साथ बातचीत की है।

2.9.3 साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट (एस ए ए सी एस आई)

साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसमे इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड मैनेजर्स ऑफ बांग्लादेश, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ श्रीलंका सहभागी होंगे।

2.9.4 आई सी एस ए. यू. के. के साथ सहमति पत्र का कार्यान्वयन

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यू. के. तथा आई सी एस आई के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र का कार्यान्वयन दोनों इंस्टीट्यूटो ने कर दिया है।

2.10 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन और चौथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

27वां राष्ट्रीय सम्मेलन और चौथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 9–11 दिसम्बर 1999 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली मे आयोजित कियागया, जिसका विषय था – "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और साइबर विधियां"। इस सम्मेलन में लगभग 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया में सम्मेलन को प्रमुख स्थान मिला। इस अवसर पर 'दि इकानामिक टाइम्स' ने अपने समाचार पत्र में पूरे एक पृष्ठ का सम्लीमेंट प्रकाशित किया।

2.11 प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन

पहली बार व्यवसाय के प्रेक्टिस पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए उपाय और साधनों का पता लगाने के लिए एक सांझा मंच पर प्रेक्टिसरत कम्पनियों को एकत्र करने का एकजुट प्रयास किया गया, क्योंकि बहुत हद तक प्रेक्टिस पक्ष की सफलता पर ही व्यवसाय का भविष्य निर्भर करता है। इसके लिए 27–28 अगस्त 1999 को हैदराबाद में प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों का सम्मेलन किया गया और इसमें देश से विभिन्न भागों से 120 प्रतिनिधि भाग लेने के लिए आए। जैसा कि पहले कहा है, यह तय किया गया है कि यह सम्मेलन प्रति वर्ष क्षेत्रवार आयोजित किया जाए।

2.12 कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी

इंटरनेट और डिजीटल नर्वस सिस्टम के जगत में तेज गति से चल रही घटनाओं के साथ कदम मिला कर चलने की महत्ता को मानते हुए इंस्टीट्यूट की सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निदेशक–स्तर का एक पद बनाया गया है। मुख्यालय की लगभग सभी गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण हो गया है। समीक्षाधीन वर्ष मे जिन कुछ पद्धतियों का विकास हुआ है, उनकी सूची इस प्रकार है.

- लाइसेंस धारी पद्धति
- कार्मिक सूचना पद्धति
- पावती और निगम कार्य पद्धति
- विधिगत कार्य पद्धति
- परिषद के कार्यों से जुडी गतिविधियों की पद्धति
- सचिवालय कार्य पद्धति
- अनुसंधान और अध्ययन कार्य–पद्धति
- नियोजन गतिविधियों की पद्धति
- वेतन–चिट्ठा सम्बन्धी कार्य

सम्पूर्ण हार्डवेयर को वाई2के के अनुरूप बनाया है। साफ्वेयर मे भी वाई2के का अनुपालन किया है, जिनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

- कल्याण निधि पद्धतिं
- पी एम क्यू परिणाम प्रसंस्करण पद्धति
- परीक्षा सम्बन्धी कार्यों पर नजर रखने की पद्धति
- वेतन–चिट्ठा पद्धति

समीक्षाधीन वर्ष में सभी सम्बन्धित आप्रेशनों को वाई2के के अनुरूप बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर लेने के कारण इस्टीट्यूट ने नई सहस्राब्दि में सुचारू ढंग से अपने काम काज में परिवर्तन कर लिया।

इस्टीट्यूट की वेबसाइट का डिजाइन फिर से तैयार किया है और अनुमोदित मामलों को नियमित रूप से अध्ययन किया जाता है। जून 1999 और दिसम्बर 1999 सत्रों की परीक्षाओं के परिणामो को आई सी एस आई वेबसाइट पर अंकों के ब्रेक –अप के साथ प्रकाशित किया गया है।

स्टाफ के कम्प्यूटर प्रशिक्षण के क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। आवश्यकता के आधार पर स्टाफ के प्रत्येक कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया गया। भविष्य की योजना यह है कि इन कर्मचारियों की पहचान की जाए जिन्हें कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है और उन्हे इस्टीट्यूट मे ही प्रशिक्षण दिया जाए।

3. परिषद

3.1 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

परिषद की 117 वीं बैठक 1 जनवरी 2000 को हुई जिसमे 1 जनवरी 2000 से एक वर्ष के लिए पश्चिमी क्षेत्र के श्री जे श्रीधर को अध्यक्ष और दक्षिणी क्षेत्र के श्री पी.वी.एस. जगन मोहन राव को उपाध्यक्ष चुना गया।

3.2 बैठकें

समिति की विभिन्न बैठको के अलावा परिषद ने इस वर्ष के दौरान पाच बैठकें आयोजित की।

3.3 समितियां आदि

परिषद द्वारा गठित विभिन्न समितियो, विशेषज्ञ ग्रुपों ओर परामर्शी बोर्डों का विवरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ख' मे दिया गया है।

3.4 सचिवीय मानक बोर्ड

समीक्षाधीन वर्ष मे प्रमुख विशेषता एक नए बोर्ड अर्थात् सचिवीय मानक बोर्ड का गठन है, जो न केवल सचिवीय मानक तैयार करेगा, बल्कि वर्तमान मे नानाविधि प्रकार की चल रही पद्धतियों को एकीकृत करेगा, उनको समरस बनाएगा और मानकीकरण करेगा। बोर्ड में प्रतिष्ठित वरिष्ठ सदस्य रहेंगे।

4. क्षेत्रीय परिषदें और शाखायें

4.1 क्षेत्रीय परिषदें

चारों क्षेत्रीय परिषदों ने बड़े उत्साह और जोश से अपनी गतिविधियां और कामकाज को चला कर परिषद को अपना समर्थन और सहायता देना जारी रखा। क्षेत्रीय परिषदों ने कैरियर जागृति कार्यक्रमों, फोन–इन कार्यक्रमों, सेमिनारो और कार्यशालाओं, एस. एम. टी. कार्यक्रमो, मौखिक शिक्षण कक्षाओं, विद्यार्थी मार्गनिर्देशी बैठकों, अध्ययन सर्किल कक्षाओं और क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया। ये परिषदें पुस्तकालयो को भी व्यापक रूप से अद्यतन रखने, समाचार–बुलेटिन प्रकाशित करने और आंकड़े रखते हुए रोजगार सेवाएं प्रदान करने, सदस्यों/विद्यार्थियो को जानकारी देने, इंस्टीट्यूट के प्रकाशनों की बिक्री करने का काम भी कर रही हैं। परिषद के निर्देशानुसार 1999–2000 मे मुख्यालय द्वारा की जाने वाली कुछ गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण क्षेत्रीय परिषदों में कर दिया गया है। 31 मार्च 2000 को क्षेत्रीय परिषद की रिजर्व और अधिशेष राशि तथा प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सदस्यों और विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है:

मद	पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद	उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद	दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद
वित्तीय स्थिति:				
(1) अधिशेष (+) घाटा (–)1999–2000 रू0	117824	866860	(182615)	257426
(2) 31.3.2000 को रिजर्व रु0	736653	3599088	641933	971791
नियमित पाठयक्रम के विद्यार्थियों की संख्या				
–31–03 2000 को	23395	50687	32019	35499
–31–03 1999 को	25191	51104	35226	37045
–1999–2000 के दौरान वृद्धि/कमी का प्रतिशत	(–)7 13	(–)0.82	(–)9.10	(–)4.17
फाउंडेशन पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की संख्या				
–31 मार्च 2000 को	5690	17751	6493	9179
–31 मार्च 1999 को	6540	23037	6892	9122
–1999–2000 के दौरान वृद्धि/कमी का प्रतिशत	(–) 13.00	(–) 22 95	(–) 5.79	(–) 0.62
सदस्यों की संख्या				
–31 मार्च 2000 को	1490	3544	3321	4337
–31 मार्च 1999 को	1406	3317	3169	4174
–1999–2000 के दौरान वृद्धि/कमी का प्रतिशत	(+)5.97	(+)6 84	(+)4.80	(+)3 91

4.2 शाखायें

1999–2000 के दौरान इस्टीट्यूट की सभी 36 शाखाओ की प्रबंध समितियों का पुनर्गठन कंपनी सचिव विनियमावली, 1982 तथा सचिव शाखाओं की मार्ग–निर्देशिका 1983 (5–5–1998 तक संशोधित) के अनुसार किया गया। इस वर्ष के दौरान शाखाओं ने विद्यार्थियों को शिक्षण, मौखिक शिक्षण और प्रशिक्षण देने तथा व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित करने की अनेक गतिविधियां संपन्न कीं।

आज तक जिन शाखाओं के अपने कार्यस्थल हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:– अहमदाबाद, बगलौर, भोपाल, कोचीन, डोम्बीवली, गाजियाबाद, गोआ, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, कानपुर, मदुरई, मगलौर, पुणे और वडोदरा।

4.3 सर्वोत्तम शाखा पुरस्कार

वर्ष 1998 के सर्वोत्तम शाखा पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित 27 वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र मे निम्नलिखित शाखाओ को दिये गये:

सर्वोत्तम राष्ट्रीय शाखा पुरस्कार

हैदराबाद

सर्वोत्तम क्षेत्रीय शाखायें

पूर्व–भुवनेश्वर
उत्तर–चण्डीगढ़
दक्षिण–हैदराबाद
पश्चिम–अहमदाबाद

4.4 सैटेलाइट शाखाएं

इंस्टीट्यूट की परिषद ने सभी चारों क्षेत्रों में सदस्यों और विद्यार्थियों की सेवाओं को और सुदृढ करने के लिए तथा लाइब्रेरी और मौखिक शिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने एवं सदस्यों और विद्यार्थियों के बीच आपसी सलाह मशविरा करने के लिए सैटेलाइट शाखाओं के गठन के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं। आज की तारीख तक निम्नलिखित स्थानों पर 16 सैटेलाइट शाखाओं का गठन किया जा चुका है।:

उत्तर – आगरा, इलाहाबाद, बरेली, व्यावर, भीलवाड़ा, गुड़गांव, जोधपुर, मेरठ, वाराणसी, और यमुना नगर,

दक्षिण – हुबली–धारवाड़, कोट्टयम, त्रिचुर, और विजयवाड़ा,

पश्चिम – नासिक और रायपुर

इंस्टीट्यूट की सैटेलाइट शाखाओं में अध्ययन सामग्री, प्रकाशन, चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल, स्टूडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी बुलेटिन और सभी क्षेत्रीय परिषदों के न्यूज़ बुलेटिन तथा इंस्टीट्यूट के अन्य प्रकाशन उपलब्ध हैं।

5. सदस्य

5.1 नए प्रवेश

1999–2000 वर्ष में 641 एसोसिएट सदस्य तथा 226 फैलो सदस्यों को प्रविष्ट किया गया। 31 मार्च 2000 को इंस्टीट्यूट के रजिस्टर में 12692 सदस्य दर्ज थे, जिनमें से 9270 एसोसिएट और 3422 फैलो सदस्य थे। 31 मार्च 2000 को विदेशो मे रहने वाले सदस्यों की सख्या 264 थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद को 19 सदस्यो की मृत्यु की सूचना देते हुए दुख है।

1999–2000 वर्ष में 233 सदस्यों को प्रेक्टिस प्रमाण पत्र जारी किए गए। 31 मार्च 2000 को प्रेक्टिस प्रमाण पत्र धारियों की संख्या 1266 थी।

5.2 सदस्यों की सूची

कम्पनी सचिव विनियमावली 1982 के विनियम 161 के साथ पठित कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 19(3) के अनुसरण मे 1 अप्रैल 1999 की स्थिति के अनुसार सदस्यों की पूरक सूची प्रकाशित की गई है। पूरक सूची में दी गई सूचना इस प्रकार है--जैसे सदस्यों के निवास के पते, टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर, व्यवसाय स्थान के पते, दिए गए हैं। सदस्यो को यह सूची उनके अनुरोध पर सप्लाई की गई है। कुछ और अतिरिक्त सूचनाएं भी दी गई हैं ताकि सदस्यो के बीच बेहतर संचार और सलाह मशविरा हो सके।

6. "चार्टर्ड सेक्रेटरी"

इंस्टीट्यूट का यह प्रतिष्ठित जर्नल निरन्तर प्रकाशित होता रहा है और इसकी उच्च गुणवत्ता तथा प्रकाशन होने के कारण इसे सराहा गया है समीक्षाधीन वर्ष मे जर्नल के चार विशेषांक निम्नलिखित विषयों पर प्रकाशित किये।

1. बजट
2. अप्रत्यक्ष कर
3. वित्तीय क्षेत्र/सेवाएं और
4. बीमा

इस वर्ष कम्पनी सचिवो से सम्बन्धित नानाविध विषयों पर अनेक लेख जर्नल में प्रकाशित किए गए। जर्नल मे सभी महत्त्वपूर्ण विधायी घटनाओ को तुरन्त ही प्रकाशित किया गया। इस वर्ष के अकों मे दो परिशिष्ट भी प्रकाशित किए गए: (1) सदस्यो के लिए इस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट और (2) 31.03.1999 को प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव प्रमाण पत्र धारियों की सूची। इस प्रकार पूरे वर्ष जर्नल में मूल्यवान सामग्री दिए जाते रहने के प्रयास किए गए।

इसके अलावा, इंटरनेट सावी सदस्यों के लाभ के लिए प्रतिमाह आई सी एस आई वेबसाइट पर महत्त्वपूर्ण अधिसूचनाएं दी गईं। प्रेक्टिसरत कम्पनी सचियों के लिए जुलाई 1999 से नियमित रूप से मध्य–माह अद्यतन स्थिति प्रकाशित की जा रही है।

इस वर्ष सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और बोर्ड ने निरन्तर जर्नल की विषय वस्तुओं पर गहरी नजर रखी है। वर्ष 1998 मे विधिगत, प्रबन्धन और वित्त, लेखे और कराधान विधाओ में चार्टर्ड सेक्रेटरी के सर्वोत्तम लेख पर पुरस्कार नई दिल्ली मे आयोजित 27वे राष्ट्रीय सम्मेलन और चौथे अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी सचिव सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में दिसम्बर 1999 को दिया गया।

7 विद्यार्थी सेवाएं

7.1 नियमित पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण

व्यवसाय का भविष्य आज के विद्यार्थी के हाथों में है। इस तथ्य को मानते हुए इंस्टीट्यूट ने सदैव बिना समझौता किए विद्यार्थियो को अच्छी से अच्छी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया है। 1999–2000 के दौरान 18421 विद्यार्थियों ने पजीकरण कराया जबकि पिछले वर्ष 22842 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ था। 31 मार्च 2000 को विद्यार्थियों की चालू पजीकरण संख्या 141666 है, जिनमें वे 692 विद्यार्थी शामिल है, जिनका पजीकरण विनियम 21(3) के अधीन किया गया।

7.2 फाउंडेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए 10+2 विद्यार्थियों के लिए फाउण्डेशन पाठ्यक्रम 20 अगस्त1993 से शुरू किया गया, रिपोर्टाधीन वर्ष मे फाउण्डेशन पाठ्यक्रम मे 11121 विधार्थियो को प्रवेश दिया गया, जबकि पिछले वर्ष 14425 विद्यार्थियो को प्रवेश दिया था। 31.3.2000 तक 115398 विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जा चुका था। 31.3.2000 को फाउंडेशन पाठ्यक्रम के पंजीकृत विधार्थियों की वर्तमान संख्या 39113 थी। जून तथा दिसम्बर 1999 में आयोजित फाउण्डेशन पाठ्यक्रम की परीक्षाओ मे क्रमश 1086 और 1179 परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे।

7.3 नियमित पाठ्यक्रम और फाउण्डेशन पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों की घटती जा रही सख्या पर चिंता का विषयहै और परिषद इस

पर गम्भीरता से विचार कर रही है और समस्या का समाधान ढूंढ रही है।

7.4 शिक्षण

इस वर्ष में फाउंडेशन पाठ्यक्रम तथा अन्य नियमित पाठ्यक्रमों में जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, उन सभी के नाम अनिवार्यत: डाक शिक्षण के लिए भी दर्ज किए गए और उन्हें अध्ययन सामग्री दी गई। इस वर्ष शिक्षण समाप्ति पर 35294 प्रमाण पत्र जारी किए गए और फाउंडेशन इटरमीडिएट और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए प्राप्त सभी उत्तर पुस्तिकाओ का मूल्याकन किया गया तथा विद्यार्थियों को वापस की गईं। इस वर्ष विद्यार्थियों को सेवा प्रदान करने संबंधी गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करने की दिशा में पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद को छोड़ कर सभी क्षेत्रीय परिषदों में इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की सुविधा दी गई है। दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय परिषद में फाइनल पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिकाओं के स्थानीय मूल्यांकन की भी सुविधा रही है। आशा है कि पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद में भी उत्तर पुस्तिकाओं के स्थानीय मूल्यांकन की सुविधा शीघ्र शुरू हो जाएगी।

7.5 परीक्षाओं का आयोजन

रिपोर्टाधीन वर्ष में कम्पनी सचिवों की फाउण्डेशन, इण्टरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षाएं जून और दिसम्बर 1999 में 52 परीक्षा केन्द्रो पर रखी गई जिनमें से 51 परीक्षा केन्द्र देश भर में थे और 1 परीक्षा केन्द्र दुबई मे था। जून और दिसम्बर 1999 सत्रों में परीक्षा में बैठने के लिए क्रमशः 43751 तथा 40957 परीक्षार्थियों ने नामांकन कराया। जून 1999 में इटरमीडिएट परीक्षा को 1378 और फाइनल परीक्षा को 511 विद्यार्थियों ने पूरा कर लिया। दिसम्बर 1999 के लिए यही आकड़े क्रमशः 1622 और 800 है।

7.6 स्टूडेंट कम्पनी सेक्रेटरी

इंस्टीट्यूट कम्पनी सचिव पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले विधार्थियों के लाभ के लिए नियमपूर्वक अपना मासिक बुलेटिन 'स्टूडेट कम्पनी सेक्रेटरी' प्रकाशित करता है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं सहित कम्पनी सचिवीय पाठ्यक्रम के प्रशासन के सबंध में हुए विधायी संशोधनों, अध्ययन और सूचना के बारे में जानकारी देना है। यह बुलेटिन नियमित रूप से अध्ययन कर रहे सभी वर्तमान विधार्थियो को निःशुल्क भेजा जाता है।

7.7 कम्पनी सचिव फाउंडेशन पाठ्यक्रम बुलेटिन

फाउंडेशन पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी, जो अपने कैरियर के मोड़ पर खड़े होते है, इंस्टीट्यूट अलग से एक कम्पनी सचिव फाउंडेशन पाठ्यक्रम बुलेटिन प्रकाशित करता है। यह द्विमासिक बुलेटिन है जिसे फाउंडेशन पाठ्यक्रम के सभी वर्तमान विधार्थियों की निःशुल्क भेजा जाता है।

7.8 कम्पनी सचिव गाइड – अध्ययन और परीक्षा

विद्यार्थियो को इस बारे में मार्गदर्शन देने के लिए कि वे किस तरह से कम्पनी सचिवों की परीक्षा के लिए अध्ययन और तैयारी करे, इंस्टीट्यूट ने एक मात्र विद्यार्थियों के लिए एक अद्यतन प्रकाशन – 'ए गाइड टू कम्पनी सेक्रेटरीशिप – स्टडी एंड एक्जामिनेशन' का अद्यतन रूप प्रकाशित किया। विद्यार्थी समुदाय को सेवाएं प्रदान करने के लिए यह पुस्तिका पंजीकरण करते समय उन सभी विद्यार्थियों को नि शुल्क दी जाती है।

7.9 लाइसेंसधारी – आई सी एस आई

रिपोर्टाधीन अवधि में इंस्टीट्यूट में 326 लाइसेंसधारी–आई सी एस आई प्रविष्ट किए गए। 31.3.2000 को लाइसेसधारिता के लिए जितने आई सी एस आई लाइसेंसधारी वैध थे, उनकी संख्या 682 थी।

7.10 आई सी एस आई – आई सी एस ए सहमति पत्र का कार्यान्वन

पुणे मे 27वें सम्मेलन के अवसर पर 13 नवम्बर 1999 को इंस्टीट्यूट (आई सी एस आई) ने चार्टर्ड कम्पनी सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स (आई.सी.एस.ए. यू.के.) के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका कार्यान्वयन दोनों इंस्टीट्यूटों ने किया। आई सी एस आई के सदस्यो द्वारा विद्यार्थी के रूप में पंजीकरण कराने के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण चार्टर्ड सेक्रेटरी के दिसम्बर 1999 के अंक मे प्रकाशित किया गया। इस बारे में आई सी एस आई के सदस्यो की बड़ी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। आई सी एस आई ए, यू. के. के विद्यार्थी बनने के लिए पजीकरण के वास्ते आई सी एस आई सदस्यो के 177 आवेदन पत्र पहले ही भेजे जा चुके है। आई सी एस आई ने भारत मे सदस्यो की सुविधा के लिए जून 2000 मे होने वाली आई सी एस ए की परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुम्बई और पुणे में की है।

8 परीक्षाएं

8.1 परीक्षाओं का आयोजन

परिषद की परीक्षा समिति ने परीक्षाओ के स्तर को बनाए रखने के लिए पूरे वर्ष अथक प्रयास किए। 1999–2000 के दौरान जून और दिसबर 1999 मे देश भर में 51 केन्द्रों पर और एक केन्द्र विदेश (दुबई) में कम्पनी सचिवों की फाउंडेशन, इटरमीडिएट और फाइनल परीक्षायें आयोजित की गईं। 1999–2000 के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की सख्या इस प्रकार है:

	परीक्षा सत्र	
परीक्षा–स्तर	जून 1999	दिसबर 1999
फाउंडेशन	1086	1179
इंटरमीडिएट	1389	1607
फाइनल	559	783

परीक्षा केन्द्रों की सूची और परीक्षा परिणामों के आंकड़े क्रमशः इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ग' और 'घ' में दिए गए है ।

8.2 पश्च सदस्यता अर्हता(पी.एम.क्यू.) परीक्षा का आयोजन जून 1999में 4 केन्द्रों–अर्थात् कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और मुम्बई मे किया गया और दिसम्बर 1999 में यह परीक्षा निम्न आठ केन्द्रों पर हुई–अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुम्बई और पुणे। पी.एम.क्यू. परीक्षा परिणामों के आंकड़े इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ङ' में दिए गए है।

8.3 अखिल भारतीय पुरस्कार

जून और दिसंबर 1999 की परीक्षाओं के लिए प्रेजीडेट मेडल/अखिल भारतीय पुरस्कार निम्नलिखित विद्यार्थियों को दिये गये

पाठ्यक्रम	जून 1999	केन्द्र	दिसंबर 1999	केन्द्र
इंटरमीडिएट	निमिष शांतिलाल छेडा	मुम्बई	सुश्री ज्योत्सना गुप्ता	चंडीगढ
फाइनल	प्रसन्न वेंकेटश श्रीनिवासन	चेन्नई	विशाल नाथानी	कलकत्ता

पुरस्कार विजेताओं के नाम तथा अखिल भारतीय पुरस्कार योजनाओं तथा क्षेत्रीय पुरस्कार योजनाओं के ब्यौरे 'स्टूडेट कम्पनी सेक्रेटरी' और 'सी एस फाउण्डेशन कोर्स' बुलटिनो मे प्रकाशित किये गए।

8.4 योग्यता प्रमाणपत्र/योग्यता छात्रवृत्तियां/वित्तीय सहायता

क्रमशः जून और दिसंबर 1999 सत्रो की फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के प्रथम सर्वोच्च 25 रेक पाने वाले तथा फाइनल परीक्षा में सर्वोच्च 16 और 20 रैंक पाने वाले परीक्षार्थिओ को योग्यता प्रमाण दिए गए।

योग्यता छात्रवृति योजना के अधीन जून और दिसबर 1999 सत्रों में इस्टीट्यूट की फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाओं मे प्रत्यक सर्वोच्य 15 रैंक के परीक्षार्थियों को छात्रवृत्तिया दी गई। इसी प्रकार योग्यता–व–साधन सहायता योजना के अधीन सुपात्र विद्यार्थियो को वित्तीय सहायता दी गई।

9 प्रशिक्षण

9.1 सफल व्यवसायी बनने के लिए विद्यार्थियो को तैयार करने के वास्ते पाठ्यक्रम में दी गई विषय सूची मे दिए गए विभिन्न विषयों का सैद्धान्तिक ज्ञान और अन्तर्दृष्टि ही पर्याप्त नहीं है। इस रूपातण मे अर्थपूर्ण और व्यावहारिक प्रशिक्षण नितात अनिवार्य है। व्यावहारिक प्रशिक्षण को सुदृढ करने तथा विद्यार्थियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गम्भीरता की भावना लाने के उद्देश्य से इस्टीट्यूट की परिषद ने सभी विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण शुरू करने से पहले उनके लिए अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग ओरिएण्टेशन प्रोग्राम (टॉप) शुरू करने का निर्णय लिया है। यह भी तय किया है कि नए पाठ्य विवरण को शुरू करने के बाद विद्यार्थियो के लिए आवश्यक होगा कि फाइनल परीक्षा मे बैठने के लिए पात्र होने से पहले उन्हें कम से कम बारह महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करना होगा। इस प्रशिक्षण से छूट केवल उन विद्यार्थियों को दी जाएगी जिनके पास किसी कम्पनी में उप/सहायक कम्पनी सचिव/सचिवीय अधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट अनुभव होगा।

9.2 पैनल बनाना

प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों को प्रायोजित करने के इंस्टीट्यूट के पैनल पर आने के लिए नई कम्पनियो से सम्पर्क किया। 144 कम्पनियो से प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पैनल पर लिया और 94 कम्पनियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पैनल मे रखा। उक्त अवधि मे 68 कम्पनियों की प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान की सूची बनाई। प्रबधन और व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए 31.3 2000 को पैनल पर क्रमशः 1884 और 2000 कम्पनिया थी। इसी प्रकार 31.3.2000 को प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान करने वाली 464 कम्पनिया थी। वित्त वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कम्पनियो की सूची का विस्तार करने पर ही जोर नहीं दिया गया, बल्कि कम्पनियो द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास भी किया गया।

9.3 प्रशिक्षण प्रदान करना

1999–2000 के दौरान 874 विद्यार्थियों को प्रबंध प्रशिक्षण प्रदान किया गया, 298 विद्यार्थियो ने व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा किया और प्रशिक्षु प्रशिक्षण पूरा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 561 थी।

9.4 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम

1999–2000 के दौरान क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं ने 18 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और 607 विद्यार्थियो ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया।

विद्यार्थियों को विभिन्न विधानो में हुए परिवर्तनों संशाधनो की जानकारी देने के लिए एस एम टी पी के पाच माड्यूलों का पुनरीक्षण किया गया और इसके सहभागियों को उपलब्ध कराया गया।

10. जन सम्पर्क और नियोजन

10.1 जन सम्पर्क

कम्पनी सचिवीय पाठ्यक्रम में नयापन लाने और देश में हर तरफ व्यवसाय की स्पष्टता बढाने की दृष्टि जन सम्पर्क और नियोजन निदेशालय ने वर्ष 1999–2000 मे इलेकट्रानिक मीडिया पर अध्यक्ष के अनेक साक्षात्कारो का प्रसारण कराया जो सफल रहा।

इंस्टीट्यूट ने 4, 5 और 6 जून 1999 को नई दिल्ली मे हिन्दुस्तान टाइम्स तथा एशियन न्यूज चैनल के सहयोग से आयोजित "एच टी कैरियर्स 2000" के मेले मे भाग लिया। निदेशालय ने 22–24 जुलाई 1999 को नई दिल्ली मे उरवी विक्रम चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित

'कैरियर मेला' में संभावित विद्यार्थियों को भी सूचना प्रदान की। दोनों मेलों की गतिविधियो का प्रसारण दूरदर्शन ने किया।

एक व्यापार प्रबन्धक और निगम विकास योजनाकार के रूप मे कम्पनी सचिव की बदलती छवि प्रस्तुत करने के लिए इस्टीट्यूट के अध्यक्ष और सचिव के अनेक प्रेस साक्षात्कार पूरे वर्ष प्रकाशित होते रहे, जो इस प्रकार हैं – 5 अप्रैल 1999 को 'एशियन एज', 8 अप्रैल 1999 तथा 27 अक्तूबर 1999 को पी टी आई, 1 अगस्त को 'तथ्य भारती' (हिन्दी की व्यापार पत्रिका), 13 अगस्त 1999 को ट्रिब्यून, 17 अगस्त 1999 को इकानामिस्ट (लंदन आधारित समाचार पत्र), 25 अगस्त 1999 को स्टेट्समैन और इकानामिक टाइम्स, 10 सितम्बर 1999 को दिल्ली टाइम्स, 14 फरवरी 2000 को इण्डियन एक्सप्रेस तथा 17 फरवरी 2000 को स्टेट्समैन।

विद्यार्थी समुदाय के लाभ के लिए कम्पनी सचिवीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी अनेक रंगीन कैरियर लेख (फीचर्स) तैयार किए गए और प्रमुख समाचार पत्रों के अनेक संस्करणो में प्रकाशित हुए।

आई सी एस आई द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों के सम्बन्ध में अनेक प्रेस विज्ञप्तिया जारी की गईं और समय–समय पर दैनिक व्यापार समाचार पत्रों ने अनेक प्रासंगिक विषयों पर अध्यक्ष की प्रतिक्रियाएं प्रकाशित हुईं। वाह्य समाचार पत्रो ने भी पी टी आई, यू एन आई और यूनीवार्ता जैसी प्रमुख समाचार एजेंसियों द्वारा तैयार समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। पूरे भारत में 26 अगस्त 1999 और 26 फरवरी 2000 को अनेक अंग्रेजी और हिन्दी समाचार पत्रो ने कम्पनी सचिव परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित किए।

नवी मुम्बई में निगम अनुसधान और प्रशिक्षण केन्द्र (सी सी आर टी) के उद्घाटन की घोषणा के लिए एक प्रेस सम्मेलन को अध्यक्ष महोदय ने सम्बोधित किया, जिसे नई दिल्ली और मुम्बई दोनो नगरो में ही 16 मई 1999 को समाचार पत्रो ने अपने प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया। 17–18 मई 1999 को सी सी आर टी समारोह की उद्घाटन कार्यवाही को मुम्बई प्रेस, दूरदर्शन और आकाशवाणी सभी ने अपने कार्यक्रमों में प्रमुख स्थान दिया। नई दिल्ली मे एक और प्रेस सम्मेलन 8 दिसम्बर 1999 (राष्ट्रीय सम्मेलन से एक दिन पहले) नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसे प्रेस और आकाशवाणी पर व्यापक रूप से स्थान मिला। कम्पनी सचिवो के 27वे राष्ट्रीय सम्मेलन और चौथे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट भी 9–10–11–12 दिसम्बर 1999 को समाचार पत्रों और इलेक्ट्रानिक मीडिया में व्यापक रूप से पेश की गई।

9 दिसम्बर 1999 को इकानामिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) मे राष्ट्रीय सममेलन के उद्घाटन समारोह की मुख्य विशेषताओ सम्बन्धी पूरे पृष्ठ का परिशिष्ट प्रमुख रूप से प्रकाशित हुआ। निदेशालय की एक और प्रमुख उपलब्धि यह थी कि इसने 9 दिसम्बर 1999 को नई दिल्ली मे राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आई सी एस आई कार्पोरेट फिल्म तैयार और प्रदर्शित की।

21 फरवरी 2000 और 29 फरवरी 2000 को जैन टी वी ने अध्यक्ष महोदय की बजट पूर्व और बजट के बाद की प्रतिक्रियाओ को प्रसारित किया। 1 मार्च 2000 को सचिव महोदय की बजट प्रतिक्रिया दूरदर्शन पर प्रकाशित हुई। 'जी न्यूज' कार्यक्रम के दौरान 29 मार्च 2000 को जी टी वी ने कम्पनी सचिव व्यवसाय पर सचिव महोदय का साक्षात्कार प्रसारित किया।

पूरे वर्ष में विभिन्न प्रकार के जन सम्पर्क और जन सम्बन्धो की गतिविधियो के कारण कम्पनी सचिवीय पाठ्यक्रम के बारे मे पूर देश मे जागृति पैदा करने तथा व्यापार, उद्योग और निगम क्षेत्र मे कम्पनी सचिवो के व्यावसायिक रूप और भूमिका स्वीकार करने मे बहुत हद तक कही अधिक योगदान मिला है।

10.2 नियोजन

सभावित नियोजको से अनुरोध प्राप्त होने पर पूरे वर्ष निदेशालय मे समुचित नियोजन के लिए सदस्यो के जीवन–वृत्त उन्हें भेजे। इंस्टीट्यूट में नियोजन के लिए रखे गये सदस्यो के डाटा बैंक को समय समय पर अद्यतन किया जाता रहा। प्रबन्धन सलाहकारो से भी जन सम्पर्क बनाए रखा और उन्हें कम्पनी सचिवों द्वारा दी जा रही सेवाओ की जानकारी दी और नियोजन प्रकोष्ठ मे पजीकृत सदस्यो की सूचियां भेजी, ताकि सदस्यों को समुचित नियोजन मिल सके। समाचार पत्रों और पत्रिकाओ मे नियमित रूप से कम्पनी सचिव के पद के लिए विज्ञापन दिए गए और सदस्यों के अनुभव के साथ उनका बायो डाटा समुचित नियोजन के लिए भेजा जाता रहा। देश में आने वाले अतिथि सदस्यों को अखिल भारतीय आधार पर कम्पनी सचिवों के लिए उपलब्ध रिक्तियो/अवसरो की जानकारी दी गई। अनेक सार्वजनिक उद्यमों/निजी सगठनों से कम्पनी सचिवों के पद के लिए जो भी अनुरोध प्राप्त हुए उन पर तुरन्त कार्रवाई की गई। जिन संगठनो ने केवल सी ए, आई सी डब्ल्यू ए और एम बी ए (वित्त) के लिए विज्ञापन दिए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे एकीकृत निगम प्रबन्धकों के रूप में उनकी भूमिका को देखते हुए कम्पनी सचिवों को भर्ती करे। इनके बारे में विचार करे। ऐसे अनेक सदस्यो से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है जिन्होंने इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित साक्षात्कारों और समुचित नियोजन के लिए बुलाया गया था।

11. लेखे

11.1 अधिशेष

इस समीक्षाधीन वर्ष के लेखों में 59.20 लाख रुपये के अधिशेष को सामान्य रिजर्व मे डाला गया जब कि इसकी तुलना में 1998–99 वर्ष मे 181.84 लाख रुपये की अधिशेष राशि अन्तरित की गई थी।

11.2 रिजर्व

(क) पूंजी रिजर्व

31 मार्च 2000 को सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क के पूजी रिजर्व की पूंजीकृत राशि 55.12 लाख रुपये थी, जबकि 31 मार्च 1999 को यह राशि 52.74 लाख रुपये थी।

(ख) सामान्य रिजर्व

पिछले वर्ष 31 मार्च 1999 को जो सामान्य रिजर्व 1823.90 लाख रुपये था, वह अब बढ कर 31 मार्च 2000 को 2140.66 लाख रुपये हो गया है।

11.3 सांविधिक लेखा परीक्षक

कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 18(4) के अनुसरण में मैसर्स खन्ना एंड अन्नाधनम, चार्टर्ड एकाउंटेट्स नई दिल्ली को 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट का सांविधिक लेखा परीक्षक पुन: नियुक्त किया गया। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट लेखा विवरण के साथ प्रकाशित की गई है।

12 भूमि और गवन

12.1 आई सी एस आई – ई आई आर सी भवन

पूर्वी भारत क्षेत्र परिषद कार्यालय ने इस वर्ष में 3–ए, अहिरीपुकुर, प्रथम लेन, कलकत्ता 700 019 मे अपना कार्यस्थल खरीद लिया।

12.2 फरीदाबाद शाखा की भूमि

इस शाखा ने फरीदाबाद के सेक्टर 16ए मे हरियाणा नगर विकास प्राधिकरण (हूडा) से 3.65 लाख रुपये में 500 वर्ग गज का एक भूखंड खरीदा था। यद्यपि हूडा ने फरीदाबाद शाखा को आवंटन पत्र और कब्जे का पत्र जारी कर दिया था, परन्तु इस संपत्ति के बारे मे कुछ पुराने विवाद के कारण हूडा ने इस भूखंड का कब्जा शाखा को नही सौपा जा सका था। हूडा ने अब फरीदाबाद मे एक दूसरा प्लाट चुन लिया है और अलाट कर दिया है। परन्तु इसके लिए मुख्य प्रशासक, हुडा चण्डीगढ द्वारा स्वीकृति दिए जाने और प्लाट के सीमांकन की आवश्यकता है। आशा है कि नए अलाट किए गए प्लाट के लिए मुख्य प्रशासक की स्वीकृति और इसका सीमांकन यथा समय हो जाएगा और हूडा, फरीदाबाद शाखा को फरीदाबाद में इस भूमि का कब्जा सौंप दे देगा।

12.3 नौयडा में आई सी एस आई का नया भवन

12.3 इंस्टीट्यूट ने कार्यस्थल की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेक्टर–62, फेज–2, नौएडा मे एक भूखण्ड खरीदा है। इसके भवन निर्माण का कार्य एन बी सी सी को दिया गया है। भवन निर्माण का काम पूरा होने वाला है और इसमें पाच मंजिलें है – बेसमेट, ग्राउण्ड और तीन मंजिलें। भवन का कुल निर्माण क्षेत्र 20000 वर्ग फुट है। आशा है कि इस भवन निर्माण का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा और यह काम करने लायक बन जाएगा और फिर बिजली तथा पानी का कनेकशन मिलने के बाद, जिस पर काम चल रहा है, प्रस्ताव है कि इस्टीट्यूट के कुछ कार्य नए भवन में स्थानातरित कर दिए जाएगे, जिससे सदस्यो और विद्यार्थियों को बेहतर सेवाए प्रदान की जा सके।

13. शाखाओं को पूंजीगत अनुदान और ऋण

इंस्टीट्यूट ने अपनी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओ को 31 मार्च 2000 तक अपना कार्यालय भवन लेने के लिए जो अनुदान और ऋण दिया है उसका ब्यौरा इस प्रकार है:

(क) अनुदान 112.34 लाख रुपये

(ख) ऋण 238.24 लाख रुपये

इंस्टीट्यूट का प्रयास है कि क्षेत्रीय परिषदो और शाखाओं द्वारा अपने काम काज के लिए भवन लेने के प्रयासो में उनकी सहायता करे और इस संबंध मे पूरक राशि दे। कुछ क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं में अपने कार्यालय स्थल/भवन परियोजनाओ के लिए ससाधन जुटाने के लिए जबरदस्त प्रयास किये हैं। परिषद इन क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं द्वारा किये गए इन प्रयासो की प्रशंसा करती है।

14. कम्पनी सचिव हितकारी निधि (सी एस बी एफ)

14.1 सी एस बी एफ के सदस्यों में वृद्धि

सी एस बी एफ के आजीवन सदस्यों की संख्या 31 मार्च 2000 को 2993 थी। पिछले वर्षों में सदस्यों की सख्या धीरे–धीरे बढती रही है। 31 मार्च 2000 को पूंजी रिजर्व 89.40 लाख रुपये और सामान्य रिजर्व 26.70 लाख रुपये था।

14.2 इस निधि में और अधिक सदस्यो को प्रवेश कराने के लिए प्रयास जारी है। इससे वित्तीय संकट के समय सदस्यो को बेहतर वित्तीय सहायता तथा मृत्यु, लम्बी बीमारी, दुर्घटना आदि के कारण कठिनाई में उनके परिवारों को और अधिक लाभ दिए जा सकेंगे। यह अपने आप में बीमा जैसा उपाए है। 1000 रुपये के आजीवन सदस्यता शुल्क को आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत छूट प्राप्त है। यह उत्साहवर्धक बात है कि नए पहल के उपायों से नए नामांकनों में उत्साहवर्धक रूझान दिखाई पड़ रहा है।

15. मानव संसाधन विकास

15.1 मानव संसाधन विकास का सीधा प्रभाव इंस्टीट्यूट के समग्र कार्य प्रदर्शन पर पडता है और इसलिए इंस्टीट्यूट का प्रबधन इस पर निरन्तर विशेष ध्यान देता आया है। दरअसल, आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक निगम जगत मे सदस्यों, विद्यार्थियो और अन्य लोगो को कुशल तथा सस्ती सेवाएं प्रदान करने के लिए इंस्टीट्यूट के सभी संसाधनो का इष्टतम प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि इस्टीट्यूट नवीनतम टेकनालाजी का इस्तेमाल करते हुए उपलब्ध ज्ञान को परिणित कर किस हद तक अपने मानव ससाधनो की क्षमता और समर्थता वढ़ा सकता है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट के अधिकारियो और कर्मचारियों को मानव ससाधन विकास के नानाविध कार्यक्रमो के लिए नामित किया है ताकि वे अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे जो नई–नई तकनीके आ रही है, वे उन तकनीकी और प्रबन्धकीय कुशलताओं को अपना सकें। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की नई–नई तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर देने तथा मानव ससाधनों के प्रयोग को प्रभावकारी बनाने के लिए इस्टीट्यूट के कामकाज को सुदृढ बनाने के लिए एक अन्तग निदेशक (आई टी) नियुक्त किया है ताकि इंस्टीट्यूट जिन लोगो को सेवाएं प्रदान करता है, उन्हें बेहतर सवेाए प्रदान की जा सकें।

15.2 कर्मचारियों के साथ संबंध और कल्याण

अपने विभिन्न ग्राहकों को कुशल और कम लागत पर सेवाए उपलब्ध कराने के लिए आई सी एस आई कर्मचारी संघ के साथ सौहार्दपूर्ण

संबध अत्यत आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष नियोक्ता–कर्मचारियों के बीच सद्भावनापूर्ण संबध बनाए रखे गए। आई सी एस आई कर्मचारी सघ ने इंस्टीट्यूट मे कम्प्यूटर सस्कृति को बढावा देने समेत इंस्टीट्यूट की समग्र वृद्धि और विकास के संसाधनो का इष्टतम उपयोग करने मे अपना पूरा सहयोग दिया।

इंस्टीट्यूट में भाईचारा पैदा करने और परस्पर सहमति और सहयोग का वातारण बनाने के लिए आई सी एस आई एम्पालाईज क्लब और शिफ्ट एड क्रेडिट सोसाइटी ने वर्ष भर विभिन्न सांस्कृतिक और कल्याणकारी गतिविधियां जारी रखीं।

16. भावी दृष्टिकोण

16.1 आज विश्व व्यापार में धीरे–धीरे बढते जा रहे वैश्वीकरण के फलस्वरूप व्यापार और वाणिज्य मे सचिवीय चुनौतिया बढती जा रही है। इसी प्रकार धीरे–धीरे, परन्तु इलेक्ट्रानिक वाणिज्य की तरफ स्पष्ट झुकाव के कारण आन्तरिक रूप से निगम शासन के स्वीकृत मानदण्डों से जुड़ी सचिवीय पद्धतियो के सहायक फलितार्थ विद्यमान हैं। ऐसे परिदृश्य में, नए–पुराने, छोटे–बडे सभी प्रकार के व्यवसाय की बेहतरी इस बात पर निर्भर करती है कि कहां तक इन सभी को अनुकूल रूप में ढाला जा सकता है प्रत्येक व्यावसायिक के लिए यह आवश्यकता सभी को स्पष्ट है कि वे संसाधनो और सूचना मे सहभागी बने। जब सब मिल कर पूरी ताकत से काम करते हैं तो उसके लाभ भी कही अधिक मिलते है। निगम व्यावसायिकों की नई पीढी को लचीला बनना होगा और नई चुनौतियों के यथा सम्भव अच्छे से अच्छे समाधान प्रस्तुत करने के लिए तेयार रहना होगा। प्रतिस्पर्धा की ऊचाइयो को छूने के लिए अद्यतन सूचना और ज्ञान भण्डार प्राप्त करने के लिए इसमें और अधिक व्यय करना आवश्यक है।

इस दिशा में इंस्टीट्यूट में भारत में कम्पनी सचिव व्यवसाय के समुचित विकास और वृद्धि के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं

कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की प्रतिबद्धता, परिश्रम, परिकल्पना और ज्ञान से यह तय होगा कि आज के साईबर वातावरण मे अपने प्रयासों से हम कितना लाभ उठा सकेगे।

17. आभार

परिषद केन्द्रीय सरकार के मत्रालयो और कार्यालयों और विशेष रूप से कम्पनी कार्य विभाग और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 'सेबी' तथा अन्य नियामक प्राधिकरणो के प्रति उनके द्वारा इस वर्ष व्यवसाय और इस्टीट्यूट की गतिविधियों के विकास मे सहायता व मार्गदर्शन तथा समर्थन प्रदान करने के लिए आभार प्रगट करती है। परिषद विभिन्न राज्य सरकारों वित्तीय/औद्योगिक/निवेश संस्थानों/सामान्य रूप से निगम क्षेत्र और देश में विभिन्न चैम्बर्स ऑफ कामर्स और ट्रेड एसोसिएशनो तथा अन्य एजेंसियों के प्रति भी आभार प्रगट करती है, जिन्होने इंस्टीट्यूट के सदस्यों की सेवायें लेने और इनकी विशेषज्ञता को मान्यता प्रदान करने मे लगातार रूचि बढाई है।

परिषद इस्टीट्यूट के भावी योजना समूह, कोर ग्रुपों और पाठ्य विवरण समीक्षा समिति के प्रति भी अपना गहन आभार प्रगट करती है। परिषद, क्षेत्रीय परिषद और इनकी शाखाओं जिनमें सेटेलाइट शाखाए भी शामिल हैं, द्वारा पूरे हृदय से प्रदान की गई सहायता और सहयोग के लिए तथा इंस्टीट्यूट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी अपनी ओर से अत्यधिक सराहना करती है, जिन्होने बडी निष्ठा और कर्तव्य की भावना से काम किया।

परिषद् की ओर से,

जे. श्रीधर, अध्यक्ष

नई दिल्ली

तारीख : 11.9.2000

[विज्ञापन/3/4/असा./121/2000]

परिशिष्ट – क

व्यावसायिक विकास अनवरत शिक्षा कार्यक्रम

(मद सं. 2.6 का अनुबन्ध)

1. 7–10 अप्रैल 1999 को चेन्नई में "वैकल्पिक विवाद सामाधान" विषय पर चार दिवसीय सहभागी प्रमाण–पत्र कार्यक्रम।
2. 9–10 अप्रैल 1999 को दिल्ली में "कम्प्यूट्रीकृत सचिवीय कामकाज की व्यवस्था लेखा परीक्षा" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला।
3. 7–9 मई 1999 को मुम्बई में "वैकल्पिक विवाद समाधान" विषय पर तीन दिवसीय सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
4. 22–23 मई 1999 को दिल्ली में प्रबन्धन अध्ययन स्कूल, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेन्ज, मुम्बई के सहयोग से टेलीकांफ्रेंस के माध्यम से 'डेरीएटिव्स' पर दो दिवसीय सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
5. 11 जून 1999 को दिल्ली में "बौद्धिक सम्पदा–निगम विकास के लिए अनिवार्य विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय विचार गोष्ठी।
6. 24–26 जून 1999 को चेन्नई में "बौद्धिक सम्पदा अधिकार" पर तीन दिवसीय सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
7. 31 जुलाई 1999 को दिल्ली में एस्सेट इंटरनेशनल के साथ संयुक्त रूप से "ई–कामर्स" पर एक दिवसीय सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
8. 18 अगस्त 1999 पुणे में "ई–कामर्स" पर एक दिवसीय सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
9. 27–28 अगस्त 1999 को हैदराबाद में प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों का प्रथम दो–दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन।
10. 7–8 सितम्बर 1999 को आई सी एस आई–सी सी आर टी, बालापुर, नवी मुम्बई में सार्वजनिक उद्यम विभाग के साथ संयुक्त रूप से "सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना–मुद्दे–सुधार और भावी रूप" विषय पर दो दिवसीय कार्यकारी विकास कार्यक्रम।
11. 11 सितम्बर 1999 को कलकत्ता में "ई–कामर्स" पर एक दिवसीय सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
12. 18 सितम्बर 1999 को हैदराबाद में "ई–कामर्स" पर एक दिवसीय सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
13. 25 सितम्बर 1999 को बंगलौर में "ई–कामर्स" पर एक दिवसीय सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
14. 8–10 सितम्बर 1999 को "बौद्धिक सम्पदा अधिकार" पर सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
15. 30 अक्तूबर को चेन्नई में "ई–कामर्स" पर एक दिवसीय सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
16. 29–30 अक्तूबर 1999 को दिल्ली में जोखिम प्रबंधन और बीमा पर दो दिवसीय सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
17. 13 नवम्बर 1999 को दिल्ली में उद्यम संसाधन योजना (इ आर पी) पर एक दिवसीय सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
18. 27 नवम्बर को हैदराबाद में "डेरीएटिव्स" पर एक दिवसीय कार्यक्रम।
19. 9–11 दिसम्बर 1999 को नई दिल्ली में "अर्न्राष्ट्रीय व्यापार और साइबर विधि" विषय पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन और चौथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
20. 7–9 फरवरी 2000 को ए एस सी आई के साथ संयुक्त रूप से "विलयन और अधिग्रहण" पर तीन दिवसीय कार्यक्रम।
21. 26 फरवरी 2000 को नई दिल्ली में "कम्पनी विधेयक और निगम शासन;; पर विचार गोष्ठी।
22. 28 फरवरी–2 मार्च 2000 को नई दिल्ली में "वैकल्पिक विवाद समाधान" विषय पर चार दिवसीय सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम

परिशिष्ट 'ख'

समितियां, विशेष समूह और सलाहकार बोर्ड
(मद सं. 3.3 का अनुबन्ध)

स्थायी समितियां

1. अनुशासन समिति

जे. श्रीधर, अध्यक्ष	चेयरमैन
ऐ. रामास्वामी	सदस्य
हरीश के. वैद	सदस्य

2. परीक्षा समिति

पी.वी.एस. जगन मोहन राव, उपाध्यक्ष	चेयरमैन
एस गंगोपाध्याय	सदस्य
पवन कुमार विजय	सदस्य

3. कार्यकारी समिति

जे. श्रीधर, अध्यक्ष	चेयरमैन
पी.वी.एस. जगन मोहन राव, उपाध्यक्ष	सदस्य
वीरेन्द्र गंडा	सदस्य
एस गंगोपाध्याय	सदस्य
ए. रामास्वामी	सदस्य

अन्य समितियां

4. व्यावसायिक विकास समिति

जे. श्रीधर, अध्यक्ष	चेयरमैन
बिपिन एस. आचार्य	सदस्य
के चन्द्रशेखरन	सदस्य
बी.पी. धुनका	सदस्य
वीरेन्द्र गंडा	सदस्य
वी. श्रीधरन	सदस्य
हरीश के. वैद	सदस्य

5. प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों की समिति

बिपिन एस आचार्य	चेयरमैन
बी.पी. धुनका	सदस्य
एस डी इसरानी (डॉ0)	सदस्य
वी श्रीधरन	सदस्य

6. प्रशिक्षण तथा शिक्षण सुविधा समिति

पी.वी.एस. जगन मोहन राव, उपाध्यक्ष	चेयरमैन
नैना आर देसाई (श्रीमती)	सदस्य
एस. गंगोपाध्याय	सदस्य
एस डी इसरानी (डॉ0)	सदस्य
कुमार डी. कापसी	सदस्य
एस. रामबद्रन	सदस्य
पवन कुमार विजय	सदस्य

7. सदस्यता–पश्च अर्हता पाठ्यक्रम समिति

पी.वी.एस. जगन मोहन राव, उपाध्यक्ष	चेयरमैन
एस. गंगोपाध्याय	सदस्य
पवन कुमार विजय	सदस्य

8. रोजगार–सहायता समिति

के चन्द्रशेखरन	चेयरमैन
कुमार डी. कापसी	सदस्य
पवन कुमार विजय	सदस्य

9. विनियम समिति

जे. श्रीधर, अध्यक्ष	चेयरमैन
बिपिन एस आचार्य	सदस्य
नैना आर देसाई (श्रीमती)	सदस्य
वीरेन्द्र गडा	सदस्य
एस. डी. इसरानी (डॉ0)	सदस्य
कुमार डी. कापसी	सदस्य
एस. रामबद्रन	सदस्य

10. समन्वय समिति

जे. श्रीधर, अध्यक्ष	चेयरमैन
पी.वी.एस. जगन मोहन राव, उपाध्यक्ष	सदस्य
बी. पी. धनुका	सदस्य
वीरेन्द्र गडा	सदस्य
एस.डी. इसरानी (डॉ0)	सदस्य
कुमार डी कापसी	सदस्य
पी एस शर्मा (डॉ0)	सदस्य

11. नौयडा भवन समिति

आर एन बंसल	चेयरमैन
गिरीश आहूजा	सदस्य
वीरेन्द्र गडा	सदस्य
एन.के. जैन	सदस्य
आर के. पांडे	सदस्य
हरीश के. वैद	सदस्य
एन. के. अग्रवाल, अपर सचिव, आई सी एस आई	सदस्य सचिव

पदेन सदस्य

जे. श्रीधर, अध्यक्ष, आई सी एस आई	
पी.वी.एस. जगन मोहन राव, उपाध्यक्षए आई सी एस आई	
एस पी नारंग (डॉ0), सचिव, आई सी एस आई	

12. सी सी आर टी प्रबंधन समिति

जे. श्रीधर, अध्यक्ष	चेयरमैन
पी वी एस. जगन मोहन राव, उपाध्यक्ष	सदस्य
नैना आर देसाई	सदस्य
वीरेन्द्र गडा	सदस्य
एसं. गंगोपाध्याय	सदस्य
एस.डी. इसरानी (डॉ0)	सदस्य
कुमार डी. कापसी	सदस्य
ए. रामास्वामी	सदस्य
एस पी नारंग (डॉ0), सचिव, आईसीएसआई	सदस्य
पद्माकर अस्थाना (डॉ0) डीन सी सी आर टी	सदस्य

13. कम्प्यूटर समिति

पवन कुमार विजय	चेयरमैन
के. चन्द्रशेखरन	सदस्य
कुमार डी. कापसी	सदस्य

14. चुनाव समिति

विपिन एस. आचार्य	चेयरमैन

15. संपादकीय सलाहकार बोर्ड

एस बालासुब्रह्मण्यम	चेयरमैन
बी.डी. बिशनोई	सदस्य
ज्योत्सना डीश (श्रीमती)	सदस्य
अनूप मिश्रा	सदस्य
यू.सी. नाहाटा	सदस्य
आर.के. पांडे	सदस्य
कल्याण रायपुरिया (डॉ0)	सदस्य
टी.आर. रूस्तगी	सदस्य
हरीश के. वैद	सदस्य
एस.के. वर्मा (प्रो.) (श्रीमती)	सदस्य
एस. पी. नारग (डॉ0) सचिव, आई.सी.एस.आई.	सदस्य सचिव

16. विशेष सलाहकार ग्रुप

आर.एन. बसल	चेयरमैन
यू.के चौधरी	सदस्य
अशोक छाबडा	सदस्य
नैना आर. देसाई (श्रीमती)	सदस्य
एस गगोपाध्याय	सदस्य
एस.डी. इसरानी (डॉ0)	सदस्य
आर. कृष्णन	सदस्य
एस.पी. नारग (डॉ0), सचिव, आई.सी.एस.आई.	सदस्य

17. सी.सी.आर.टी. सलाहकार बोर्ड

माननीय श्री जस्टिस	अवैतनिक
एम.एन वेंकटचलैय्या	चेयरमैन
एन.एल भाटिया	सदस्य
एस.एच. भोजानी	सदस्य
माननीय श्री जस्टिस अशोक ए देसाई	सदस्य
एन.वी. देशपाडे	सदस्य
जी.पी. गुप्ता	सदस्य
मोहिन्द्र एन. कौडा (प्रो0)	सदस्य
टी.एस. कृष्णामूर्ति	सदस्य
आर.ए. मशेलकर (डॉ0)	सदस्य
एन.एल. मित्रा (प्रो0)	सदस्य
राजन नन्दा	सदस्य
पी.वी नरसिम्हम	सदस्य
सी.आर. शाह	सदस्य
वी.एच. पण्डया	सदस्य
एन. विट्टल	सदस्य

पदेन सदस्य

जे. श्रीधर, अध्यक्ष
पी.वी.एस जगन मोहन राव, उपाध्यक्ष
एस.पी. नारग (डॉ0) सचिव, आई सी एस आई
पद्माकर अस्थाना (डॉ0), डीन सी सी आर टी

परिशिष्ट (ग)

वर्ष 1999–2000 के दौरान आयोजित

परीक्षा (मद सं. 9.1 का अनुबन्ध)

1 आगरा	2 अहमदाबाद	3 इलाहाबाद	4 अम्बाला शहर	5 बंगलौर	6 बडौदा
7 भोपाल	8 भुवनेश्वर	9 कलकत्ता	10 चण्डीगढ़	11 चेन्नई	12 कोयंबटूर
13 दिल्ली (पूर्व)	14 दिल्ली (उत्तर)	15 दिल्ली (दक्षिण)	16 दिल्ली (पश्चिम)	17 एरनाकुलम	18 गाजियाबाद
19 गुवाहाटी	20 हैदराबाद	21 इन्दौर	22 जयपुर	23 जम्मू	24 जमशेदपुर
25 जोधपुर	26 कानपुर	27 लखनऊ	28 लुधियाना	29 मदुरई	30 मंगलौर
31 मेरठ	32 मुंबई (सी)	33 मुंबई (एम)	34 मुंबई (वी पी)	35 मैसूर	36 नागपुर
37 नौयडा	38 पणजी	39 पटना	40 पाण्डिचेरी	41 पुणे	42 रायपुर
43 राजकोट	44 रांची	45 शिमला	46 तिरूवनंतपुरम	47 त्रिचुरापल्ली	48 उदयपुर
49 विजयवाड़ा	50 विशाखापत्तनम	51 यमुना नगर	52 विदेशी–केन्द्रः दुबई		

परिशिष्ट 'घ'

परीक्षा परिणामों के आंकड़े
(मद सं. 9.1 का अनुबन्ध)
जून 1999 का सत्र

परीक्षा–स्तर	परीक्षार्थियों की संख्या			उत्तीर्ण प्रतिशत
	नामांकित	बैठे	उत्तीर्ण	
फाउंडेशन	8030	6237	1086	17.41
इंटरमीडिएट*				
ग्रुप–1	17561	11107	1599	14.40
ग्रुप–2	16722	10680	1380	12.92
फाइनल**				
ग्रुप–1	3682	2579	796	30.86
ग्रुप–2	4325	2948	610	20.69

* इण्टरमीडिएट के दोनों ग्रुपों में 2421 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 178 ने परीक्षा पास की (7.35 प्रतिशत)।

** फाइनल के दोनों ग्रुपों में 702 परीक्षार्थी बैठे जिनमें से दोनों ग्रुपों में कुल 105 ने परीक्षा पास की (14.96 प्रतिशत)।

दिसम्बर 1998 सत्र

परीक्षा–स्तर	परीक्षार्थियों की संख्या			उत्तीर्ण प्रतिशत
	नामांकित	बैठे	उत्तीर्ण	
फाउंडेशन	6609	5235	1179	22.52
इंटरमीडिएट*				
ग्रुप–1	17404	10681	2014	18.86
ग्रुप–2	15833	9828	1416	14.41
फाइनल**				
ग्रुप–1	4087	2910	1253	43.06
ग्रुप–2	4926	3423	724	21.15

* इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुपों में 2737 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में कुल 218 ने परीक्षा पास की (7.96 प्रतिशत)।

** फाइनल के दोनों ग्रुपों में 905 परीक्षार्थी बैठे जिनमें से दोनों ग्रुपों में कुल 173 ने परीक्षा पास की (19.12 प्रतिशत)।

परिशिष्ट 'ङ'

पश्च सदस्यता अर्हता परीक्षा का परिणाम
(बिन्दु सं. 8.2 का अनुबन्ध)
जून 1999

परीक्षा–स्तर	परीक्षार्थियों की संख्या			उत्तीर्ण प्रतिशत
	नामांकित	बैठे	उत्तीर्ण	
ग्रुप–1	23	09	00	0.00
ग्रुप–2	10	05	00	0.00

दोनों ग्रुपों मे 7 परीक्षार्थियों के नाम अंकित किए गए, जिनमे से 3 परीक्षार्थी दोनों ग्रुपों में बैठे और दोनों ग्रुपों में कोई परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित नहीं हुआ।

दिसम्बर 1999 सत्र

परीक्षा–स्तर	परीक्षार्थियों की संख्या			उत्तीर्ण प्रतिशत
	नामांकित	बैठे	उत्तीर्ण	
ग्रुप–1	24	11	02	18.18
ग्रुप–2	07	02	00	0.00

दोनों ग्रुपों में 6 परीक्षार्थियों के नाम अंकित किए गए, जिनमे से 1 परीक्षार्थी दोनों ग्रुपों में बैठा और दोनों ग्रुपो में कोई भी परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित नहीं हुआ।

खन्ना एंड अन्नाधनम
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स

706, आकशदीप, 26ए, बाराखम्बा रोड,

पो, आ, बाक्स नं0 648
नई दिल्ली – 110 001

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 31 मार्च 2000 के संलग्न तुलन पत्र तथा इसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखे का परीक्षण भी किया है और हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है:

(क) हमें वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए, जो हमें अपेक्षित जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए प्राप्त करने आवश्यक थे।

(ख) रिपोर्ट का संदर्भाधीन तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखे रखी गई लेखा पुस्तकों और रिकार्डों से मेल खाते हैं।

(ग) जिस हद तक आदेशात्मक लेखांकन मानकों का अनुपालन लागू होता है, तदनुसार तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखे तैयार किए गए हैं।

(घ) हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण इनके साथ दी गई टिप्पणियों और लेखांकन नीतियों के पढने पर निम्नलिखित के बारे में लेखे सही और पर्याप्त स्पष्ट स्थिति प्रगट करते हैं:

(1) इंस्टीट्यूट के मामले से संबंधित 31 मार्च, 2000 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र के बारे में स्थिति।

(2) उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखे में अधिशेष से संबंधित स्थिति

कृते खन्ना एंड अन्नाधनम
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह0
(के ए बालासुब्रह्मण्यन)
पार्टनर

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 11.9.2000

टेलीफोन: 3315110, 3310642 फैक्स : 91(11) 3739216, 3315119,
E-mail -- khanna@ndb.vsnl.net.in

दि इस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया, नई दिल्ली

तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची		31 मार्च 2000	31 मार्च 1999
निधि का स्रोत				
पूजी रिजर्व	1		5,511,870	5,274,370
सामान्य रिजर्व	2		214,065,836	182,390,264
वैज्ञानिक अनुसंधान रिजर्व	3		--	6,132,690
चिकित्सा व्यय निधि	4		--	8,386,000
योग			219,577,708	202,183,324
निधि का प्रयोग				
स्थायी परिसम्पत्तियां:	5			
सकल ब्लाक		124,695,964		70,245,180
घटाए: मूल्य ह्रास		31,993,050		23,911,672
		92,702,914		46,333,508
जोड़ें: भूमि क्रय/निर्माणाधीन भवन के लिए पेशगी		16,401,142		36,727,694
			109,104,040	83,061,202
निवेश	6		94,345,632	92,093,100
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और पेशगी				
चालू परिसंपत्तियां	7			
निवेश पर बना ब्याज		7,223,744		4,814,576
हस्तगत स्टाक		5,308,577		4,240,359
विविध देनदार		777,495		408,729
नकदी और बैंक शेष		40,331,763		59,219,953
		53,641,579		68,683,617
ऋण ओर पेशगियां	8	28,136,899		16,692,694
		81,778,478		85,376,311
घटायें: चालू देयतायें और प्रावधान	9			
देयताएं		33,802,433		36,469,482
प्रावधान		31,848,009		21,877,807
योग		65,650,442		58,347,289
			16,128,036	27,029,022
			219,577,708	202,183,324
लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां	15			

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
खन्ना एंड अन्नाधनम
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
ह0
(के.ए. बालासुब्रह्मण्यन)
पार्टनर

कृते और परिषद् की ओर से

ह0	ह0	ह0
(डा. एस. पी. नारंग)	(पी.वी.एस. जगन मोहन राव	(जे. श्रीधर)
सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 11.9.2000

आय तथा व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

विवरण		अनुसूची	31 मार्च 2000	31 मार्च 1999
आय				
विद्यार्थियों तथा सदस्यों से शुल्क		10	88,392,295	98,301,124
प्रकाशनों की बिक्री			8,004,841	8,148,920
जर्नल और बुलेटिन का चन्दा और विज्ञापन			2,189,899	1,879,057
निवेश पर ब्याज (सकल)			18,563,572	16,637,231
(स्रोत पर काटा गया कुल ब्याज–शून्य)				
कार्यक्रमों से आय			4,346,741	4,465,189
वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियां (सीसीआरटी सहित)	@		2,261,624	
प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं			653,421	312,949
अन्य आय		11	846,121	650,428
योग			**125,258,514**	**130,394,898**
व्यय				
स्थापना	*	12	36,951,162	33,936,616
डाक शिक्षण			9,146,654	11,341,779
प्रकाशन और कार्यालय स्टेशनरी	*		2,551,131	2,793,245
जर्नल और बुलेटिन			6,821,820	7,340,714
परीक्षा			10,073,611	12,406,612
संचार	*	13	3,325,661	3,026,255
क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं को अनुदान			4,198,253	4,538,425
क्षेत्रीय कार्यालय			1,129,495	924,185
यात्रा और सवारी	*		3,215,342	2,812,616
विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और पुरस्कार			98,123	189,602
व्यावसायिक विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण	**		4,590,184	3,082,493
वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियां (सीसीआरटी सहित)	@		11,155,174	5,097,680
अन्य व्यय	*	14	9,297,497	9,877,752
मूल्य ह्रास		5	5,577,687	5,642,308
कम्पनी सचिव कल्याण निधि में अंशदान			–	2,500,000
चिकित्सा व्यय निधि में अंशदान			500,000	1,200,000
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए प्रावधान			5,000,000	5,000,000
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान			5,656,568	–
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान			50,039	500,581
योग			119,338,401	112,210,863
व्यय से अधिक आय जो सामान्य रिजर्व में ले जायी गई			5,920,113	18,184,035
	योग		**125,258,514**	**130,394,898**

@सीसीआरटी गतिविधिया 16.5.1999 से लागू हो गई।
* यह राशि वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों के लिए आवटन के बाद की राशि है।
** इसमें एन आई आर सी को आवंटित 4,02,000 (पिछले वर्ष 8,44,835 रुपए) शामिल हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
खन्ना एंड अन्नाधनम
चार्टर्ड एकांउटैंट्स

ह0
(के ए. बालासुब्रह्मण्यन)
पार्टनर

कृते और परिषद की ओर से

ह0	ह0	ह0
(डा एस पी. नारग)	(पी वी एस. जगनमोहन राव)	(जे. श्रीधर)
सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 11 9 2000

अनुसूची–1

पूंजी रिजर्व

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2000		31 मार्च 1999
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		5,274,370	5,073,570
जोड़ें : प्रवेश शुल्क–एसोसिएट सदस्य	192,300		160,200
–फैलो सदस्य	45,200		40,600
		237,500	200,800
योग		**5,511,870**	**5,274,370**

अनुसूची–2

सामान्य रिजर्व

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2000		31 मार्च 1999
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		182,390,264	164,168,695
जोड़ें: क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं से अंशदान			
–भूमि/भवन	15,961,570		1,737,534
–सीसीआरटी परियोजना पूरी होने पर वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना रिजर्व से अन्तरण	9,793,891		–
– आय एवं व्यय लेखा के अनुसार अधिशेष	5,920,113		18,184,035
		31,675,574	19,921,569
घटाएः पुराने भवन के बारे में नए भवन के प्रति समंजन करने के लिए अंशदान का समायोजन		–	1,700,000
योग		214,065,838	182,390,264

अनुसूची–3

वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना (सी सी आर टी) रिजर्व

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2000		31 मार्च 1999
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		6,132,690	4,021,656
जोड़ें: प्राप्त दान राशि/अंशदान	31,113,214		27,222,341
निर्धारित निधियों पर ब्याज	17,000		57,706
		31,130,214	27,280,047
घटाएं: आई सी एस आई द्वारा पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद को 31.3.1999 तक दिए गए अंशदान को जिन्हें/पेशगियों में समायोजित किया गया (प्रति पक्ष) (– अनुसूची–8)	27,469,013		25,169,013
घटाएं: आई सी एस आई परियोजना पूरी होने पर सामान्य रिजर्व में अन्तरण	9,793,891		–
		37,262,904	25,169,103
योग		6,132,690	

अनुसूची–4

चिकित्सा व्यय निधि

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2000		31 मार्च 1999
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		8,386,000	5,800,000
जोड़ें जमा राशियों पर ब्याज	–		1,416,000
आय और व्यय लेखा से अंतरण	–		1,200,000
			2,616,000
		8,386,000	8,416,000
घटाए आईसीएमआई होस्पीटेलाइजेशन ट्रस्ट को अन्तरण		8,386,000	30,000
योग		–	8,386,000

अनुसूची–5

31–3–2000 करे स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची

क्रम सं.	मद	सकल ब्लाक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
		1–4–1999 को लागत	वृद्धि	कटौतियां	31–3–2000 को लागत	1–4–1999 को कुल जोड	वर्ष के दौरान	कटौतियां	31–3–2000 को कुल जोड	31.3.2000 की स्थिति	31.3.1999 की स्थिति
1.	पट्टे पर भूमि	10474485	0	0	10474485	0	0	0	0	10474485	10474485
2.	भवन	35543581	39452548	0	74996129	9902278	3254693	0	13156971	61839158	25641303
3.	फर्नीचर और जुड़नार	3164186	8212582	4799	11371969	2218143	967276	4163	3181256	8190713	946043
4.	कम्प्यूटर नेटवर्क	10852612	1402527	0	12255139	5889274	2566948	0	8456222	3798917	4963337
5.	एयरकण्डीश्नर इंस्टालेशन और कूलर	1561010	3144618	8164	4697464	1051026	556433	6561	1600898	3096566	509984
6.	बिजली के उपकरण	1652457	1189832	35000	2807289	805899	359512	9713	1155698	1651591	846558
7.	कार्यालय और संचार उपकरण	4173649	905302	458715	4620236	2092499	431818	256298	2268019	2352217	2081151
8.	अन्य उपकरण	203530	385821	0	589351	92801	75217	0	168018	421333	110729
9.	पुस्तकालय की पुस्तकें	2239082	0	0	2239082	1659364	193220	0	1852584	386498	579718
10.	वाहन	380588	615140	350908	644820	200388	124246	171243	153391	491429	180200
	इस वर्ष का योग	70245180	55308370	857586	124695964	23911672	8529363	447978	31993057	92702907	46333508
	पिछले वर्ष का जोड़	63832203	6493164	80187	70245180	18323121	5642305	53757	23911672	46333508	
	पेशगियां (चालू निर्माण कार्य)										
1.	भूमि (वित्तीय टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 2 देखें)	300000	0	0	300000	0	0	0	0	300000	300000
2.	भवन (निर्माणाधीन)	30823135	12297179	27019182	16101132	0	0	0	0	16101132	30823135
3.	अन्य	5604559	1127354	6731913	0	0	0	0	0	0	5604559
	इस वर्ष का जोड़	36727694	13424533	33751095	16401132	0	0	0	0	16401132	36727694
	पिछले वर्ष का जोड़	27064419	12094098	2430823	36727694	0	0	0	0	36727694	

नोट : 8529,363 रूपए के कुल मूल्य ह्रास में से मुम्बई में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना (सी.सी.आर.टी.) से संबद्ध सभी सम्पत्तियों का 29,51,576 रूपए का मूल्य ह्रास वैज्ञानिक अनुसंधान की गतिविधियों से सम्बन्धित व्यय में डाल दिया गया है।

अनुसूची–6

निवेश–लागत पर

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.3.99 की स्थिति	वृद्धि	विलोपन	31.3.2000
(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की मियादी जमा राशि				
– स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लि. (13.5%-14.5%)	12,900,000			12,900,000
– मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन (14.4 प्रतिशत–15 प्रतिशत)	5,500,000		-	5,500,000
– हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (12–12.5 प्रतिशत)		14,050,000		14,050,000
योग (क)	**18,400,000**	**14,050,000**	**7,105,000**	**25,505,000**
(ख) बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/वित्तीय संस्थानों के बंध पत्र				
– भारतीय स्टेट बैंक के 14.5 प्रतिशत ब्याज के एक–एक हजार रुपये के 6000 (पिछले वर्ष 6000) बंध–पत्र	5,757,500	-	-	5,757,500
– नेशनल हाइड्रो–पावर कार्पो. लि. 17 प्रतिशत के एक–एक हजार के शून्य (पिछले वर्ष 9000) बंध–पंत्र	9,000,000	-	9,000,000	
– स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के 16–16.5 प्रतिशत ब्याज के एक–एक लाख रुपये के 45 (पिछले वर्ष 45) बंध पत्र	4,500,000	-	-	4,500,000
– इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट बैंक आफ इण्डिया के एक–एक लाख रुपये के 200 (पिछले वर्ष 200) ज़ीरो कूपन बंध–पत्र	15,761,594	2,482,451	-	18,244.045
– इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया के 14 % ब्याज के दस–दस हजार रूपये के 600 (पिछले वर्ष शून्य) बंध पत्र	6,000,000	-	-	6.000.000
– इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया के 14 % ब्याज के पांच–पांच हजार रूपये के 800 (पिछले वर्ष शून्य) बंध पत्र	4,000,000	-	-	4,000.000
– इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया के 12.75 प्रतिशत ब्याज के पांच–पांच हजार रुप्ए के 260 (पिछले वर्ष शून्य) बंध पत्र		1,300,000		1,300.000
– इण्डस्ट्रियल फिनान्स कार्पो. आफ इण्डिया के 15.5–16 5 प्रतिशत ब्याज के एक–एक लाख रुपये के 115 (पिछले वर्ष 115)बंध–पंत्र	11,500,000	-	11,500,000	-
– इंडस्ट्रीयल फिनांस कार्पोरेशन आफ इंडिया के 15.5 प्रतिशत ब्याज के पांच–पांच हजार के 800 (पिछले वर्ष 800) बंध–पत्र	4,000,000	-	-	4,000.000
– इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पो. आफ इण्डिया लि. के 13.5 प्रतिशत ब्याज के पांच–पांच हजार रूपये के 1000 (पिछले वर्ष शून्य) बंध–पत्र	5,000,000	-	-	5,00,000
– इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पो. आफ इण्डिया लि. के एक–एक हजार रुपये के 16 5 प्रतिशत ब्याज के शून्य				

	(पिछले वर्ष 30) बंध पत्र	29,880	-	29.880	-
–	इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पो आफ इण्डिया लि. के दस–दस हजार रुपये के 15.6 प्रतिशत ब्याज के 89 (पिछले वर्ष 89) बंध पत्र	890,000	-	-	890,000
–	इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पो. आफ इण्डिया लि. (इससे पूर्व शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0) के पांच–पांच हजार रुपये के 16 प्रतिशत ब्याज के 200 (पिछले वर्ष 200) बंध पत्र	1,000,000	-	-	1,000,000
–	इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पो. आफ इण्डिया लि के पांच–पांच हजार रुपये के 12.1 प्रतिशत ब्याज के 1000 (पिछले वर्ष शून्य) बंध पत्र		5,000,000		5,000,000
–	इण्डियन रेलवे फिनान्स कार्पो. लि. के एक–एक हजार रुपये के 16.5 प्रतिशत ब्याज के 1000 (पिछले वर्ष 1000) बंध पत्र	980,000	-	-	980,000
	योग (ख)	**68,418,974**	**8,782,451**	**20,529,880**	**56,671,545**
(ग)	भारतीय यूनिट ट्रस्ट के (यू.एस.64–योजना के अधीन)				
–	345983 यूनिट, (पिछले वर्ष 345983) यूनिटें	5,621,129	-	-	5,621,129
–	10810 यूनिट (पिछले वर्ष 10810)	153,578			153,578 *
		5,774,707	-	-	5,774,707 @
	घटाएं: यूनिटों के मूल्यों में कमी का प्रावधान	(500,581)	-	(50,039)	(550,620)
	योग (ग)	**5,274,126**	**0**	**(50,039)**	**5,224,087**
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	**92,093,100**	**22,832,451**	**20,479,841**	**94,345,632**

* पुरस्कार प्रदान करने के लिए निर्धारित।

@31.3.2000 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू एस–64 योजना के अधीन बाजार मूल्य 52,24,087 रुपये था।

अनुसूची–7

चालू परिसम्पत्तियां

(राशि रुपयों में)

विवरण		31–3–2000		31–3–1999
निवेशों पर प्रोदभूत ब्याज			7,223,744	4,814,576
स्टॉक (प्रबंधन द्वारा लिया गया और प्रमाणित मूल्यांकन)				
(क) प्रकाशन		283,339		333,969
(ख) कागज		4,243,224		3,334,300
(ग) अध्ययन सामग्री		234,945		189,750
(घ) अन्य		547,069		382,340
			5,308,577	4,240,359
विविध देनदार (असुरक्षित)				
(क) राशि, जो छह महीने से अधिक समय से बकाया है।				
1. जिनकी वसूली की संभावना है।		95,652		88,505
2. जिनकी वसूली की संभावना संदिग्ध है।		63,515		76,500
		159,167		165,005
(ख) अन्य (जिनकी वसूली की संभावना है)		681,813		320,224
		841,010		485,229
घटाएं: जिनकी वसूली की संभावना नहीं है और संदिग्ध है।		63,515		76,500
			777,495	408,729
नगदी और बैंक शेष				
(क) नकदी, चैक, ड्राफ्ट और पोस्टल आर्डर, डाक टिकट/फ्रैंकिंग यूनिट		428,575		710,451
(ख) अनुसूचित बैंकों के पास				
– बचत बैंक खातों में जमा	*	4,933,253		12,019,324
– अल्प अवधि/दीर्घ अवधि खातों में जमा	**			
इसमे 12177 रुपये (पिछले वर्ष 20,642 रुपये) की पुरस्कार प्रदान करने की राशि प्रतिपक्ष–अनुसूची–9 और शून्य रुपए (पिछले वर्ष 58 लाख रूपये) की हस्पताल चिकित्सा निधि शामिल है।		26,907,019		41,227,284
(ग) मियादी जमा पर प्रोदभूत ब्याज:		8,062,916		5,262,894
			40,331,763	59,219,953
योग			53,641,579	68,683,617

* 1,60,254 रुपये नियल (पिछले वर्ष शेष 10,42,151 रुपये)

** 4,00,000 रुपये (पिछले वर्ष 5,00,000 रुपये)

नयी मुम्बई में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना (सी सी आर टी) के लिए निधारित राशि शामिल है।

अनुसूची–8

ऋण और पेशगियां

(राशि रुपयों में)

विवरण		31 मार्च 2000	31 मार्च 1999
ऋण:			
क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं के भवन		46,561,795	30,232,444
पेशगियां			
कर्मचारी (प्रोदभूत ब्याज शामिल)	3,921,532		3,650,314
क्षेत्रीय परिषदें/शाखायें	2,499,118		3,734,769
अन्य	1,016,983		2,893,242
		7,437,633	10,278,325
पूर्व प्रदत्त व्यय		363,854	196,213
विविध जमा राशियां		1,242,630	1,154,725
		55,605,912	41,861,707
घटाएं: आई सी एस आई से पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद को दिए गए अंशदान को वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना रिजर्व में समायोजित किया गया (प्रति पक्ष)		27,469,013	25,169,013
(अनुसूची–3)	**योग**	**28,136,899**	**16,692,694**

अनुसूची- 9

चालू देयतायें और प्रावधान

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.3.2000		31.3.1999
चालू देयतायें			
अग्रिम प्राप्त राशियां			
– विद्यार्थियों से रजिस्ट्रेशन शुल्क	22,153,540		25,005,620
– अन्य	97,609		460,993
क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को देय राशि	2,082,100		985,825
विविध लेनदार	1,463,369		711,158
देय व्यय	3,745,147		6,083,209
हितकारी निधि			
– कंपनी सचिव	2,195,236		2,518,404
– कर्मचारी	593,970		494,018
पुरस्कार प्रदान करने के लिए जमा राशि (प्रति पक्ष–अनुसूची 6 और 7)	215,755		210,255
न्यास	1,255,707		0
		33,802,433	36,469,482
प्रावधान			
5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार देय अन्य लाभ	2,108,733		4,893,733
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना	15,000,000		10,000,000
सम्पत्ति कर	4,653,291		4,215,376
छुट्टी नकद भुगतान	6,598,108		941,600
परिसम्पत्तियों को बट्टे खाते डालना	538,353		323,295
अन्य	2,949,464		1,503,803
		31,848,009	21,877,807
योग		**65,650,442**	**58,347,289**

अनुसूची–10

सदस्यों और विद्यार्थियों से शुल्क

(राशि रुपयों में)

विवरण	1999–2000		1998–1999
सदस्य			
वार्षिक शुल्क	3,467,025		3,152,575
अन्य शुल्क	18,550		22,350
		3,485,575	3,174,925
विद्यार्थी			
पंजीकरण शुल्क	16,838,815		17,015,267
छूट शुल्क	2,281,611		2,899,348
डाक शिक्षण शुल्क	39,907,522		50,021,229
परीक्षा शुल्क	25,170,967		24,461,548
लाइसेंसधारी शुल्क	160,250		138,510
अन्य शुल्क (पी एम क्यू सहित)	547,555		590,297
		84,906,720	95,126,199
योग		**88,392,295**	**98,301,124**

अनुसूची–11

अन्य आय

(राशि रुपयों में)

विवरण	1999–2000	1998–1999
निवेश पर प्रोत्साहन राशि	1,70,685	97,675
निवेश बिक्री से लाभ	297,620	133,848
कर्मचारी पेशगियों पर ब्याज	349,170	327,003
विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएं	5,000	0
परिसंपत्तियों के निपटान से अधिशेष	213	13,036
विविध	23,433	78,866
योग	**846,121**	**650,428**

अनुसूची–12

स्थापना

(राशि रुपयों मे)

विवरण	1999–2000		1998–1999
वेतन और भत्ते		34,118,660	31,598,704
अंशदानः भविष्य निधिः	1,870,383		2,297,235
उपदान निधि	1,617,205		1,019,644
पेंशन निधि	1,273,000		175,742
पश्च–सेवा निवृत्ति चिकित्सा योजना	0		34,080
		4,760,588	3,526,701
कर्मचारी कल्याण *		1,993,488	2,649,727
कुल योग		**40,872,736**	**37,775,132**
घटाएं : वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों को आवंटित राशि		3,921,574	3,838,516
निवल राशि		36,951,162	33,936,616

*कर्मचारी हितकारी निधि में अंशदान के शून्य रुपये (पिछले वर्ष 5.00 लाख रुपये) शामिल हैं।

अनुसूची–13

संचार

(राशि रुपयों में)

विवरण	1999–2000		1998–1999
डाक खर्च और कूरियर	2,710,811		2,554,661
टेलीफोन, फैक्स, ई–मेल आदि	919,288		896,818
कुल योग		**3,630,099**	**3,451,479**
घटाएं : वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों को आवंटित राशि		304,438	425,224
निवल राशि		3,325,661	3,026,255

अनुसूची - 14

अन्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण		1999–2000	1998–99
विज्ञापन और कैरियर जागरूक कार्यक्रम		8,74,033	1,139,336
किराया, दर और कर *		1,442,956	1,538,631
बिजली और पानी		2,188,498	2,085,248
बीमा		73,957	64,085
मरम्मत और अनुरक्षण			
– भवन	407,283		873,020
– मशीन/उपस्कर	503,346		472,147
– वाहन	133,610		118,153
		1,044,239	1,463,320
विधिक और व्यावसायिक प्रभार		287,010	274,154
कार्यालय व्यय		2,007,998	1,907,564
कम्प्युटरीकरण			
– डाटा प्रोसेसिंग	3,93,404		699,686
– साफ्टवेयर	787,405		662,942
		1,180,809	1,362,628
बैठकें		175,900	213,879
पैकिंग ढुलाई और भाडा		234,883	195,257
परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर हानि		111,456	20,566
प्रदत्त ब्याज		5,509	121,540
बैंक प्रभार		71,930	72,140
लेखा परीक्षक शुल्क			
– लेखा परीक्षा शुल्क	63,000		52,500
– अन्य सेवाएं	25,000		25,000
		88,000	77,500
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		0	33,450
निवेश की वापसी पर हानि		22,500	0
परिसम्पत्तियों की समाप्ति		215,058	0
प्रकाशकों की बिक्री पर कमीशन		68,200	0
कुल योग		10,092,936	10,569,298
घटाएं : वैज्ञानिक अनुसधान गतिविधियो			
को आवंटित राशि		795,439	691546
निवल राशि		**9,297,497**	**9,877,752**

* प्रसाद नगर और लोदी रोड़ के भवनों के बारे मे सम्पत्ति कर के लिए 3,90,258 रुपये (पिछले वर्ष 6,35,933 रुपये) की राशि शामिल है।

अनुसूची–15

लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(क) लेखांकन नीतियां

1 क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं द्वारा दान राशियां और अंशदान

सीधे प्राप्त दान राशियां और क्षेत्रीय/शाखाओं द्वारा भूमि/भवनों और अन्य सम्पत्तियों की खरीद के लिए अंशदानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों को "सामान्य रिजर्व" खाते में ले जाया जाता है।

2. शुल्क

(क) फैलो और एसोसिएट सदस्यों से प्रवेश शुल्क को प्राप्त होने पर सीधे "पूंजी रिजर्व" खाते में दिखाया जाता है और उनकी प्रोद्भूत राशि नहीं बनाई जाती है।

(ख) सदस्यों से जितना शुल्क प्राप्त होता है, उतनी राशि नकद आधार पर हिसाब मे ली जाती है। किन्तु अग्रिम में प्राप्त शुल्क को देयता के रूप में आगे ले जाया जाता है।

(ग) पंजीकरण शुल्क का छोड़ कर विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क को नकद–आधार पर हिसाब मे लिया जाता है। पंजीकरण शुल्क को पांच वर्ष की अवधि में बराबर बांटकर आय के रूप में लिया जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों को लाभ पांच वर्षों की अवधि तक मिलता है।

3. निवेश

निवेश का मूल्य लागत या बाजार मूल्य के अनुसार लिखा गया है। शून्य कूपन बंध पत्रों की लागत का बट्टे के सम्बन्धित हिस्से के कारण हुई बढ़ोतरी के अनुरूप क्रय–मूल्य के रूप में दिखाया है।

4. स्थायी परिसम्पत्तियां

(क) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को लिखित मूल्य आधार पर निम्नलिखित दरों के अनुसार प्रभारित किया जाता है:

मद	प्रतिशत
भवन	5
फर्नीचर और जुडनार	10
एयरकंडीशनर/कूलर/तथा अन्य उपरकर	15
पुस्तकालय की पुस्तकें	33.33
वाहन	20
कम्प्यूटर	40

(ख) परिवर्धनों पर मूल्यह्रास पूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है, चाहे परिवर्धनों की तारीखें कुछ भी हों और बिक्री के वर्ष में मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

(ग) पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर, 5,000 रुपये या इससे कम मूल्य की स्थायी परिसम्पत्तियों का पूर्ण मूल्यह्रास उन परिसम्पत्तियों के प्राप्ति वर्ष में किया जाता है और जिनका अंकित मूल्य वर्ष के आरम्भ में 250 रुपये या इससे कम होता है, उनका पूरा मूल्यह्रास किया जाता है।

(घ) पट्टे पर भूमि के लिए दिए गए प्रीमियम को पट्टे की अवधि में संक्रामित नहीं किया जाता है।

5. इंवेंटरी

(क) कागज तथा अन्य सामग्री के स्टॉक का मूल्यांकन उनकी लागत पर किया जाता है।

(ख) अध्ययन सामग्री, प्रकाशनों, जर्नलों/बुलेटिनों और आडियो कैसेटों का मूल्य निम्नलिखित नाम–मात्र लागत के आधार पर लगाया जाता है: 50 रुपये तक की मूल्य वाली मदों के लिए 1 रुपये और 50 रुपये से अधिक मूल्य की मदों के लिए 5 रुपये।

6. **कर्मचारी सेवा–वितृत्ति लाभ**

(क) पेंशन निधि न्यास में अंशदान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ख) उपदान न्यास में अंशदान भारतीय जीवन बीमा निगम की ग्रुप उपदान योजना के अनुसार किया जाता है।

(ग) बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी के लिए निकद राशि के भुगतान का प्रावधान किया जाता है।

(ख) वित्तीय विवरण से संबंधित टिप्पणियां

1. इंस्टीट्यूट को वित्तीय वर्ष 1999–2000 तक के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) (4) के अधीन छूट प्रमाण पत्र दिनांक 23–02–99 मिल गया है। उपर्युक्त धारा के अधीन आगे भी छूट मिलने की आशा को देखते हुए लेखों में कर का प्रावधान नहीं किया गया है।

2. हरियाणा नगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद ने 3.65 लाख रुपये में 500 वर्ग गज की जड़ खरीद भूमि का आवंटन इंस्टीट्यूट की फरीदाबाद शाखा के नाम किया था, परन्तु हूडा इसका कब्जा इस भूमि की मिल्कियत के विवाद के कारण नहीं दे सका और उसने एक दूसरा प्लाट देने का वायदा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया है। दूसरे प्लाट का आवंटन का मामला लटका रहने के कारण अभी तक भुगतान कर दी गई 3.65 लाख रुपये (3 लाख रुपये इस्टीट्यूट की लेखा पुस्तक में भूमि खरीद के लिए पेशगी के रूप में दिखाए गए हैं और 65 हजार रुपये शाखा की लेखा पुस्तक में है) पेशगियों के अन्तर्गत चल रहे हैं।

3. वेतन और भत्तों के लिए पिछले वर्ष किए गए प्रावधान की बकाया 21.09 (पिछले वर्ष 48.94 लाख रुपये) लाख रुपये की राशि को इस लिए बनाए रखा है क्योंकि संभय है कि अंशदायी भविष्य निधि (सी पी एफ), पेंशन और उपदान की सीमाएं बढ़ जाने के कारण ट्रस्टों को भुगतान करना पड़ेगा।

4. पिछली पद्धति के अनुसार विवेकपूर्ण उपाय के रूप में प्रकाशनों/अध्ययन सामग्री की समापन इंवेट्री का मूल्यांकन नाम मात्र की राशि के रूप में किया गया है, क्योंकि इन प्रकाशनों/अध्ययन सामग्री का महत्व विद्यार्थियों को छोड़ कर अन्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, और वह भी जब वे इन्हें खरीदते हैं।

5. संबंधित प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई मांग के आधार पर प्रसाद नगर के भवन के बारे में लेखों में 5.18 लाख रुपये के सम्पत्ति कर का प्रावधान किया गया है। यदि प्रावधान की गई राशि और भुगतान की जाने वाली राशि में कोई अन्तर होगा तो उसे उस वर्ष में हिसाब में लिया जाएगा, जिसमें वह मामला अन्तिम रूप से निप्टाया जाएगा।

6. आई सी एस आई ने 8,19,950 रुपये की लागत वाले पुणे शाखा के भवन के बारे में बिक्री–करार किया है, इसका कब्जा सौंप दिया है और पूरी विक्रय–राशि प्राप्त कर ली है। किन्तु अभी तक इस बारे में हस्तांतरण पत्र नहीं हुआ है।

7. इंस्टीट्यूट पिछले वर्ष तक छुट्टी के नकद भुगतान का हिसाब किताब 'पे–एज–यूगो' (अर्थात् जैसे कर्मचारी नौकरी छोड़े तभी भुगतान किया जाए) के आधार पर रख रहा था। इस वर्ष से निर्णय लिया गया है कि बीमांकित मूल्याकन के आधार पर प्रोदभूत आधार को लेकर छुट्टी के नकद भुगतान को देयता के रूप में हिसाब में लिया जाए। इस परिवर्तन के फलस्वरूप संग्रहीत रिजर्व पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण आय और व्यय लेखा में 56.57 लाख रूपए का अतिरिक्त प्रभार डाला गया है।

8. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के बनने और मान्यता मिलने तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सम्बन्धी भुगतान का प्रावधान करने के लिए प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) की अधिशेष राशि में से वर्ष 1999–2000 और अब तक के लिए डेढ़ करोड़ रूपए की राशि "प्रावधान" शीर्ष के अधीन अलग से रखी गई है।

9. वसूल की जाने वाली पेशगियों के खाते में शेष बकाया राशि, क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं के ऋणों शेष राशियों की अभी पुष्टि होनी है।

10. जहां आवश्यक हुआ है, पिछले वर्ष के आंकड़ों की इस वर्ष के आंकड़ों से तुलना करने के लिए पुनः समूहीकरण/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

11. पहले की तरह ही इस बार भी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के खातों को समेकित नहीं किया गया है।

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

(Constituted under the Company Secretaries Act, 1980)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2000

F. No. 104/28/Accts.-

REPORT OF THE COUNCIL

1. INTRODUCTION

In terms of the requirement of sub-section (5) of Section 18 of the Company Secretaries Act, 1980, the Council of the Institute of Company Secretaries of India is pleased to present its Twentieth Annual Report and audited statements of accounts along with the Auditor's Report thereon, on the working of the Institute for the year ended 31st March, 2000.

During the year under review, the Institute confidently stepped into the new millennium with readiness to meet the emerging challenges in the fast changing scenario. The year gone by was yet another eventful year for the Institute. Notwithstanding the declining economy, sluggishness in the employment scene and the steady drop in student registrations, the Institute continued its march in its quest for achieving excellence in its activities, bringing about more visibility to the profession, obtaining more recognitions to the services being rendered by its members, and placing the profession in a stronger pedestal. Towards making the future of today's students who would be tomorrow's members more secure and for carving out a special niche for itself, the Institute undertook a variety of activities and developmental work at the Headquarters, Regions and Chapters throughout the year under review. Some of the significant developments are narrated in the following paragraphs.

2. DEVELOPMENTS

2.1 Introduction of the Companies(Second Amendment Bill), 1999

An important and critical development during the year from the point of view of the profession of Company Secretaries pertained to the introduction of the Companies(Second Amendment) Bill, 1999 in the Lok Sabha on December 23, 1999. By far, the most crucial one pertained to Clause 165 of the Bill, which provided that every company not required to employ a whole-time Secretary as required under Sub-Section (1) of Section 383A, and having a paid-up share capital of ten lakh Rupees or more, shall file with the Registrar a certificate from a secretary in whole-time practice in such form and within such time and subject to such conditions as may be prescribed, as to whether the company has complied with all provisions of the Companies Act or not.

The Institute organised a Seminar on Companies Bill and Corporate Governance on February 26, 2000, which was inaugurated by Dr. P L Sanjeev Reddy, Secretary, Department of Company Affairs. A number of Seminars/Workshops were also held by Regional Councils/ Chapters of the Institute on the Companies(Second Amendment) Bill, 1999. Quite a few suggestions were received at these Seminars/Workshops. Members of the Institute too had directly sent their views and suggestions on the said Bill, which were forwarded to the Government for its consideration.

2.2 Report of the Perspective Planning Group

The Perspective Planning Group (PPG) constituted by the Council in March, 1996 with the objective of reviewing and updating the Perspective Plan drawn in 1989-91 to be in tune with the changes taking place due to the policy of liberalisation, privatisation and globalisation adopted by the Government and the changing business scenario in the wake of WTO and the role to be played by Company Secretaries in the emerging Corporate environment, submitted its report in August, 1999.

The Perspective Planning Group has suggested tightening of entry requirements, adoption of new syllabus to gear the new members to be prepared to meet the challenges of the new millennium, upgradation of examination standards, strengthening the pattern, methods and contents of practical training, constant upgradation of skills and updating the knowledge of members through mandatory attendance of Professional Development and Continuing Education Programmes, structuring the Professional Development and Continuing Education Programmes to meet the varied requirements of members, reinforcing research activities and bringing out quality publications, taking steps for image building and enhancing visibility of the profession. The Council has drawn up an action plan based on the recommendations of Perspective Planning Group.

2.3 Syllabus

The profession's strength lies in the structure, scope and sweep of its course contents. Therefore unless the course contents are revised from time to time to keep pace with the changes in the laws and practice relevant to corporate sector, obsolescence would creep in and make it redundant. Fast development in IT sector, challenges thrown by STO norms, economic liberalisation, enactment of newer acts and amendments of existing laws have necessitated a wholesale revision of the syllabus. Accordingly, an exercise had been going on in the Institute for the last three years which is now culminating in the proposed New Syllabus. This syllabus has been designed to provide a directional change both in respect of employment as well as practice and to equip future Company Secretaries to meet with confidence the challenges arising in the wake of the fast changing corporate, economic and business landscape. The new syllabus is proposed to be implemented in the year 2000-2001.

2.4 New Opportunities for Members in Practice

The persistent efforts by the Institute to carve out niche areas of practice and exploring possibilities of new recognitions for the members in practice have resulted in some satisfying results during the year under review.

The Securities Laws(Second Amendment Act), 1999 authorises Company Secretaries in Practice to appear before Securities Appellate Tribunal as an authorised representative under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Securities Contracts(Regulation) Act, 1956 and the Depositories Act, 1996, thereby fulfilling the long standing demand of our members in practice.

National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDS), by an amendment in their bye-laws have allowed Company Secretaries in Practice to conduct internal audit of operations of participants in relating to the depository operations. The Central Electricity Regulatory Commissions(Miscellaneous Provisions) Order, 1999 and the Gujarat Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999 have also authorised Company Secretary in practice to act as authorised representative. The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (as amended) has also recognised Company Secretary in Practice to act as authorised representative before the Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal. The Insurance Regulatory & Development Authority has also recognised the Company Secretaries in Practice in certain important provisions.

2.5 Visit of Dr. P L Sanjeev Reddy, Secretary, Department of Company Affairs.

It was a great privilege for us that Dr. P L Sanjeev Reddy, Secretary, Department of Company Affairs visited the Institute on March 5, 2000 and addressed the Council. The Council took this opportunity to apprise Dr. Reddy about the activities, functioning and the future plans of the Institute and impressed upon him the need to provide requisite support to boost the visibility and morale of the profession of Company Secretaries. The Council also submitted to Dr. Reddy copies of Institute's suggestions on the Companies(Second Amendment Bill), 1999 and the amendments required in the Company Secretaries Act and the Regulations. Dr. Reddy assured the Council that the Department would provide the required support needed for the growth and development of the profession.

2.6 Professional Development and Continuing Education Programmes

Twenty-two Professional Development Programme including Participative Certificate Programmes, the 27th National Convention and the 1st National Conference of Company Secretaries in Practice were held during the year under review. Enthused by the noteworthy success of the maiden National Conference of Company Secretaries in Practice, it has been decided to make it an annual feature. Details are given in Appendix 'A' to the Report.

2.7 Post Membership Qualification Course in Capital Market and Financial Services

As on March 31, 2000, 334 members of the Institute have registered for the Post Membership Qualification(PMQ) course in Capital Market and Financial Services. The fifth and sixth session of examination of PMQ Course were held in June, 1999 and December, 1999 respectively at six centres viz. Bangalore, Calcutta, Chennai, Delhi, Hyderabad and Mumbai.

2.8 ICSI-Centre for Corporate Research and Training

The ICSI-Centre for Corporate Research & Training at Navi Mumbai was inaugurated and dedicated to the Nation by Hon'ble Dr. Justice A S Anand, Chief Justice of India on May 16, 1999 at a glittering function presided over by Mr. Justice M N Venkatachaliah, Honorary Chairman, ICSI-CCRT Advisory Board, Formerly, Chief Justice of India and Chairperson, National Human Rights Commission. With the appointment of Dean in August, 1999, the ICSI-CCRT has become fully functional and has already made a distinct mark amongst professional institutions of this kind.

2.9 Interaction with Sister-Professional Bodies

2.9.1 Meeting of the Co-ordination Committee of ICSI, ICAI and ICWAI

Efforts to bring about greater understanding and harmony amongst the three Institutes received a fillip during the year, as several joint meetings of the Co-ordination committees of ICSI, ICAI and ICWAI were held during the year to discuss matters of mutual interest, including those arising in the wake of establishment of World Trade Organisation. The areas identified for mutual co-operation and understanding include – partnership between the members of the three Institutes; mutual exemption in papers; mutual recognition of training; and combined study notes on common papers. Sub-Groups have been constituted to prepare an approach paper on the modalities in respect of each area of co-operation.

2.9.2 Dialogue with American Society of Corporate Secretaries

The Institute has established a dialogue with the American Institute of Corporate Secretaries with a view to developing a close relationship for mutual benefit.

2.9.3 South Asian Association of Company Secretaries Institutes(SAACSI)

Steps have been taken to set up South Asian Association of Company Secretaries Institutes (SAACSI) with participation of the Institute of Chartered Secretaries and Managers of Bangladesh, Institute of Corporate Secretaries of Pakistan and Institute of Chartered Secretaries and Administrators of Sri Lanka.

2.9.4 Implementation of MoU with ICSA, U.K.

The MoU signed between ICSI and the Institute of Chartered Secretaries & Administrators, U.K. has been implemented by both the Institutes.

2.10 27th National Convention and 4th International Conference

The 27th National Convention and 4th International Conference was organised on December 9-11, 1999 at Vigyan Bhawan, New Delhi on the theme *International Trade and Cyber Laws*. The Convention was attended by nearly 600 delegates.

The Convention received prominent coverage both in print and electronic media. A full-page newspaper supplement was also published in The Economic Times to commemorate the occasion.

2.11 First National Conference of Company Secretaries in Practice

For the first time, a concerted attempt was made to bring together the practising members on a common platform to explore ways and means of strengthening the practice side of the profession, on whose success the future of the profession depends to a great extent. Towards this, the first National Conference of Company Secretaries in Practice was organised on August 27-28, 1999 at Hyderabad and was attended by over 120 delegates from various parts of the country. As stated earlier, it has been decided to make it an annual event to be organised region-wise.

2.12 Computerisation & Information Technology

Recognising the importance of catching up with the fast-paced developments in the world of internet and digital nervous system, a Director- level post has been created to cater to the increasing Information Technology needs of the Institute. Nearly all the activities of the Headquarters have been computerised. Some of the systems developed during the year under review are listed below : -

- Licentiate System
- Personnel Information System
- System for Receipts & Issues Activities
- System for Legal Activities
- System for Council Affairs Activities
- System for Secretariat Activities
- System for Research and Studies Activities.
- System for Placement Activities
- Payroll related Activities

All hardware have been made Y2K compliant. Software have also been made Y2K compliant including the following areas : -

- Benevolent Fund system
- PMQ Result Processing System
- Examination Activities Monitoring System
- Payroll System

The Institute had a smooth change-over to the new millennium, on account of extensive preparations made during the year under review to make all the concerned operations Y2K compliant.

Web Site of the Institute has been redesigned and is under regular updation with approved matters. Results of the examinations of June, 1999 and December, 1999 sessions were published with break-up of marks through the ICSI Website.

Major thrust has been given in the areas of computer training of the staff. Training has been provided to every staff member on need basis. Future plan is to identify the staff without adequate computer knowledge and conduct in-house training for them.

3. COUNCIL

3.1 President and Vice-President

At the 117th meeting of the Council held on 1st January, 2000, Shri J Sridhar from Western Region and Shri P V S Jagan Mohan Rao from Southern Region were elected as President and Vice-President respectively for a period of one year from 1st January, 2000.

3.2 Meetings

Apart from various committee meetings, the Council held five meetings during the year.

3.3 Committees, etc.

Composition of various committees, expert groups and advisory boards constituted by the Council is given in Appendix 'B' to the Report.

3.4 Secretarial Standards Board

One of the major highlights during the year under review was the constitution of a new Board, viz. Secretarial Standards Board which will not only formulate Secretarial Standards, but also integrate, harmonise and standardise the prevalent diverse secretarial practices. The Board would comprise senior members of eminence.

4. REGIONAL COUNCILS AND CHAPTERS

4.1 Regional Councils

The four Regional Councils continued to provide support and assistance to the Council by carrying out their activities and functions with zeal and enthusiasm. The Regional Councils conducted career fairs, phone-in programmes, seminars and workshops, SMTPs, oral coaching classes, students guidance meetings, study circle meetings and Regional Conferences. They have also been carrying out extensive library updations, publishing news bulletins and providing employment service to members by maintaining a database, dissemination of information to members/ students and selling Institute's publications. As per the directions of the Council, some of the activities being undertaken by the Headquarters have been decentralised in some of the Regional Councils during 1999-2000. The position of Reserves and Surplus and the number of members and students in each Regional Council as on 31st March, 2000 is shown below:-

ITEM	EIRC	NIRC	SIRC	WIRC
Financial Position				
Surplus(+)/Deficit(-) 1999-2000 (Rs.)	117824	866860	(182615)	257426
Reserves as on 31.03.2000 (Rs.)	736653	3599088	641933	971791
Number of Regular Students				
As on 31.03.2000	23395	50687	32019	35499
As on 31.03.1999	25191	51104	35226	37045
% Increase/decrease during 1999-2000	(-) 7.13	(-) 0.82	(-) 9.10	(-) 4.17
Number of Foundation Students				
As on 31.03.2000	5690	17751	6493	9179
As on 31.03.1999	6540	23037	6892	9122
% Increase/decrease during 1999-2000	(-) 13.00	(-) 22.95	(-) 5.79	(-) 0.62
Number of Members				
As on 31.03.2000	1490	3544	3321	4337
As on 31.03.1999	1406	3317	3169	4174
% Increase/decrease during 1999-2000	(+) 5.97	(+) 6.84	(+) 4.80	(+) 3.91

4.2 Chapters

During 1999-2000, the Managing Committees of all the 36 Chapters of the Institute were reconstituted in accordance with the Company Secretaries Chapter Guidelines, 1983(as amended upto 05.05.1998) read with Company Secretaries Regulations, 1982. The Chapters carried out a number of activities for the oral coaching and training of the students and also organised professional development programmes for members during the year under report.

As on date, the following Chapters have their own office premises : -

Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Cochin, Dombivli, Ghaziabad, Goa, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Madurai, Mangalore, Pune and Vadodara.

4.3 Best Chapter Awards

The Best Chapter Awards for the year 1998 were presented to the following Chapters at the inaugural function of 27th National Convention held at New Delhi:-

National Best Chapter : Hyderabad

Regional Best Chapters : East - Bhubaneshwar
North - Chandigarh
South - Hyderabad
West - Ahmedabad

4.4 Satellite Chapters

The Council of the Institute framed guidelines for constitution of Satellite Chapters in all four Regions to further strengthen the students and membership services and to provide library and oral tuition facilities and opportunities for interaction to the members and students. As on date, 16 Satellite Chapters have been constituted at the following places.

North : Agra, Allahabad, Bareilly, Beawar, Bhilwara, Gurgaon, Jodhpur, Meerut, Varanasi and Yamuna Nagar

South : Hubli-Dharwad, Kottayam, Thrissur and Vijayawada

West : Nashik and Raipur

The study material, publications, Chartered Secretary Journal, Student Company Secretary Bulletin and News Bulletin of all Regional Councils and other publications of the Institute are available with the Satellite Chapters of the Institute.

5. MEMBERS

5.1 New Admissions

During 1999-2000, 641 and 226 persons were admitted as Associate and Fellow Members respectively. As on 31st March, 2000, the Institute has 12692 members, comprising of 9270 Associates and 3422 Fellows on its Register. The number of members residing abroad as on 31st March, 2000 were 264. The Council regrets to report the death of 19 members during the year under review.

During 1999-2000, Certificate of Practice was issued to 233 members. As on 31st March, 2000, there were 1266 members, holding Certificate of Practice.

5.2 List of Members

In pursuance of Section 19(3) of the Company Secretaries Act read with Regulations 161 of the Company Secretaries Regulations, a supplementary list of members as on 1st April, 1999 with additional information, such as members' residential address, telephone numbers, fax numbers and professional address, has been published. The list is supplied to members on request. The additional information have been provided in the list essentially to facilitate better communication and interaction among the members.

6. CHARTERED SECRETARY

The Institute's prestigious monthly Journal 'Chartered Secretary' continued to bring laurels to the Institute by its high quality presentation and timely appearance. During the period under review, four special issues were brought out on the following topics, which were very well received.

1. Budget
2. Indirect Taxation
3. Financial Sector/Services and
4. Insurance

During the year, a large number of articles on diverse areas of relevance to Company Secretaries were featured in the Journal. All important legislative developments were promptly covered in the Journal. This year's volume also contained two supplements (1) Institute's Annual Report to Members and (2) List of Members holding Certificate of Practice as on 31.03.1999. Efforts were thus made to sustain value addition to the Journal throughout the year.

Besides, important Government Notifications are hosted also at ICSI Website every month for the benefit of Internet savvy members. For the practising Company Secretaries, a mid-month update is being published regularly since July, 1999.

The Editorial Advisory Board was reconstituted during the year and the Board continued its close monitoring on the contents of the Journal. The best article awards of Chartered Secretary in Legal, Management and Finance, Accounts and Taxation disciplines for the year 1998 were distributed at the inaugural session of the 27th National Convention and Fourth International Conference of Company Secretaries held at New Delhi in December, 1999.

7. STUDENTS SERVICES

7.1 Registration for Regular Course

The future of the profession is in the hands of today's students. Recognising this fact, the Institute has always been striving to provide the best possible services to the students without any compromise. Such efforts continued during the year under review too. During the Financial Year 1999-2000, 18421 students were registered as compared to 22842 during the previous year. Number of students whose registration was current as on 31.03.2000 was 141666, including 692 students whose registration was extended under Regulation 21(3).

7. 2 Admission to the Foundation Course

In tune with the National Policy of Education, the Institute had introduced the Foundation Course for 10+2 students with effect from 20th August, 1993. During the year under report, 11121 students were admitted to the Foundation Course as against 14425 admitted during the previous year. There were 115398 students admitted cumulatively as on 31.03.2000. The number of current Foundation Course students as on 31.03.2000 was 39113. At the Foundation Course examinations held in June and December, 1999, 1086 and 1179 candidates passed the examination respectively.

7.3 The falling trend of registration of students for the Regular Course and Foundation Course is a matter of concern and the Council is now engaged in seriously studying and addressing the problem.

7.4 Coaching

All the students admitted to the Foundation Course and registered for the Regular Course during the year were enrolled for undergoing Compulsory Postal Tuition and provided with study material. 35294 coaching completion certificates were issued during the year and all the response sheets received for Foundation, Intermediate and Final Course were evaluated and returned to the students. As a step in the direction of decentralisation of activities relating to the students services during the year, all the Regional Councils excepting WIRC provided the facility of local evaluation of response sheets for Intermediate Course. SIRC had provided the facility of local evaluation of response sheets for the Final Course also. It is expected that WIRC would provide the facility of local evaluation of response sheets from an early date.

7.5 Conduct of Examination

During the year under report, Company Secretaries Foundation, Intermediate and Final examinations were held in June and December, 1999 in 52 examination centres - 51 centres all over India and one overseas centre in Dubai. 43751 and 40957 students had sought enrolment for appearing in June & December, 1999 sessions of examinations respectively. In June, 1999, 1378 and 551 students completed the Intermediate and Final Examination respectively. The corresponding figures for December 1999 examination were 1622 and 869 respectively.

7.6 Student Company Secretary

The Institute regularly brings out a monthly bulletin 'Student Company Secretary' for the benefit of students pursuing Company Secretaryship course, mainly to apprise and update them of legislative amendments, studies and information relating to the administration of Company Secretaryship course including practical training requirements. The bulletin is sent free of cost to all the current students.

7.7 C S Foundation Course Bulletin

In order to cater to the needs of students admitted to Foundation Course who are on the turning point of their career, the Institute regularly sends the bi-monthly CS Foundation Course Bulletin free of cost to all the current students.

7.8 A Guide to Company Secretaryship – Study and Examination

In order to guide the students as to how to study and prepare for the Company Secretaries Examination, the Institute brought out the updated version of the publication titled 'A Guide to Company Secretaryship - Study and Examination'. As a part of service to the students, this booklet is provided free of cost to all the students at the time of registration.

7.9 Licentiate – ICSI

During the period under report 326 Licentiate-ICSI were admitted by the Institute. Number of Licentiate-ICSI whose Licentiateship was valid as on 31.03.2000 was 682.

7.10 Implementation of ICSI-ICSA MoU

Memorandum of Understanding signed by the Institute(ICSI) with the Institute of Chartered Secretaries & Administrators(ICSA, U.K.) on 13th November, 1998 at 26th Convention, Pune has been implemented by both the Institutes. Procedural details for seeking registration as students by the members of the ICSI were duly published in December, 1999 issue of Chartered Secretary. There has been enthusiastic response from the ICSI Members in this regard The Institute has already endorsed 177 applications of the ICSI Members for registration as students of ICSA, U.K. The Institute has also made necessary arrangements for conducting the ICSA Examination in India for the convenience of the members in June, 2000 at Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Chennai, Delhi, Hyderabad, Mumbai & Pune.

8. EXAMINATIONS

8.1 Conduct of Examinations

The Examination Committee of the Council continued its relentless efforts throughout the year to maintain the examination standards During the year 1999-2000, Company Secretaries Foundation, Intermediate and Final Examinations were held in June and December, 1999 at fifty one centres all over the country and at one centre abroad(Dubai). Number of candidates who have completed the various stages of examinations during 1999-2000 are given below.

Stage of Exam.	Examination Session	
	June 1999	December, 1999
Foundation	1086	1179
Intermediate	1389	1607
Final	559	783

List of examination centres and the statistics relating to examination results are given in Appendix 'C' and Appendix 'D' respectively.

8.2 Conduct of Post Membership Qualification(PMQ) Examination was held in June, 1999 at 4 centres viz. Calcutta, Chennai, Delhi & Mumbai and in December, 1999 at 8 centres viz. Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Chennai, Delhi, Hyderabad, Mumbai and Pune. The statistics relating to PMQ examination result is given in Appendix 'E' to the Report.

8.3 All India Prize Awards

The following students have won the President's Medals/ All-India Prize Awards for June and December, 1999 examinations.

Course	June,1999	Centre	December,1999	Centre
Intermediate	Nimish Shantilal Chheda	Mumbai	Ms.Jyotsna Gupta	Chandigarh
Final	Prasanna Venkatesh Srinivasan	Chennai	Vishal Nathany	Calcutta

The particulars of prize winners together with all-India prize schemes and regional prize schemes were published in the Student Company Secretary and C S Foundation Course Bulletins.

8.4 Merit Certificates/ Merit Scholarships / Financial Assistance

Merit Certificates were awarded to 25 top rank holders in the Foundation and Intermediate examinations; and 16 and 20 top rank holders in the Final examination held in June and December, 1999 sessions respectively.

Pursuant to the Merit Scholarship Scheme, scholarships were awarded to eligible 15 top rank holders each in the Institute's Foundation and Intermediate examinations held in June and December, 1999 sessions. Like-wise, under the Merit-cum-Means Assistance Scheme, financial assistance were granted to eligible candidates.

9. TRAINING

9.1 The theoretical knowledge and insight into various subjects covered by the course contents would alone be not sufficient to groom the students as successful professionals. Meaningful and vigorous practical training is a sine qua non in this metamorphosis. With a view to strengthening the practical training and inculcating seriousness amongst students undergoing training, the Council of the Institute has decided to introduce a compulsory Training Orientation Programme(TOP) for all students before they commence training. It has further been decided that after introduction of the New Syllabus, students must complete at least twelve months practical training before they become eligible for appearing in the Final Examination. Exemption from undergoing training will be granted only to students who have specified experience as Deputy/ Assistant Company Secretary/ Secretarial Officer in a company.

9.2 Empanelment

In order to sponsor students for training new companies were approached for empanelment with the Institute. During the year, 144 companies were empanelled for imparting Management Training and 94 companies were empanelled for imparting Practical Training. Number of Company Secretaries empanelled for imparting Apprenticeship Training during the said period was 68. The total number of companies empanelled as on 31.03.2000 for imparting Management and Practical Training stood at 1884 & 2092 respectively. Similarly, as on 31.03.2000, the total number of Company Secretaries empanelled for imparting Apprenticeship Training was 464. During the financial year thrust was not only on widening the list of companies for imparting training, but efforts were also made to improve the quality of training imparted by the companies.

9.3 Imparting Training

During the financial year 1999-2000, 874 students had undergone Management Training, 298 students had undergone Practical Training and 561 students undertook Apprenticeship Training.

9.4 Secretarial Modular Training Programme

During the year 1999-2000, 18 Secretarial Modular Training Programmes (SMTPs) were conducted by the Regional Councils & Chapters and 607 candidates successfully completed the SMTP.

With a view to educating the students with recent changes/ amendments in the various legislations, the five SMTP Modules were revised and made available to the participants.

10. PUBLIC RELATIONS & PLACEMENT

10.1 Public Relations

With a view to creating awareness on the Company Secretaryship Course and increasing the visibility of the profession in very nook and corner of the country, the Directorate of Public Relations and Placement successfully accomplished the telecast of several interviews of the President on the Electronic Media during the year 1999-2000.

The Institute participated in 'HT Careers 2000', a career fair organised in association with the Hindustan Times and the Asian News Channel on 4th , 5th and 6th June, 1999 at New Delhi. Information was also imparted by the Directorate to the prospective students during 'Career Mela' organised by Urvi Vikram Charitable Trust on 22nd -24th July, 1999 at New Delhi. Both the fairs were covered by Doordarshan.

In order to project the changing profile of a Company Secretary as a Business Manager and Corporate Development Planner, several press interviews of the President and the Secretary were organised throughout the year. Interview to Asian Age on 5th April, 1999, PTI dated 8th April, 1999 and 27th October, 1999, 'Thathya Bharati'(Hindi Business Magazine) dated 1st August, 1999, Tribune dated 13th August, 1999, Economist (London based newspaper) dated 17th August, 1999, Statesman and Economic Times dated 25th August, 1999, Delhi Times dated 10th September, 1999, Indian Express dated 14th February, 2000 and Statesman dated 17th February, 2000.

A number of coloured career features exclusively on Company Secretaryship Course were organised for the benefit of the student community and published in several editions of leading newspapers.

Several Press Releases issued regarding various seminars organised by the ICSI and the reactions of the President on several topical issues were published by the Business dailies from time to time. The news being released by leading news agencies viz. PTI, UNI and UNIVARTA, wide press coverage was received in outstation newspapers as well. Detailed CS Results were published in several Hindi and English newspapers on 26th August, 1999 and 26th February, 2000 on all-India basis.

A Press Conference addressed by the President, held to announce the inauguration of Centre for Corporate Research & Training(CCRT) at Navi Mumbai received massive front page publicity on 16th May, 1999 both at Mumbai and New Delhi. The inaugural proceedings of the CCRT function were covered by the Mumbai Press, Doordarshan and All India Radio on 17th – 18th May, 1999. Another Press Conference held on 8th December, 1999 (one day before the National Convention) at New Delhi was extensively covered by the Press and AIR. The proceedings of the 27th National Convention and 4th International Conference of Company Secretaries were widely reported in the print and electronic media on 9-10-11-12th December, 1999.

Full page supplement highlighting the inaugural function of the National Convention was prominently published in Economic Times(Delhi Edition) on 9th December, 1999. Another major achievement of the Directorate was the production and screening of ICSI Corporate Film at the inaugural function of the National Convention at New Delhi on 9th December, 1999.

The President's Pre & Post Budget reactions were aired on JAIN TV on 21st February, 2000 and 29th February, 2000. The Secretary's budget reaction was telecast on Doordarshan on 1st March, 2000. Secretary's interview on the CS Profession was also telecast by Zee TV on 29th March, 2000 during ZEE NEWS.

The varied public relations and liaison activities during the year have contributed a great deal towards increasing nationwide awareness about the Company Secretaryship Course and greater acceptability of the profession of Company Secretaries among the trade, industry and corporate sector.

10.2 Placement

In response to requests from the prospective employers, the resumes of the members were forwarded by the Directorate for suitable placement throughout the year. The data bank of members maintained at the Institute for employment was updated from time to time. Liaison was also maintained with management

consultants who were apprised on the services being provided by the Company Secretaries and lists of members registered with the Placement Cell were sent to them for suitable employment. Advertisements for the post of Company Secretary were screened from newspapers and magazines on a regular basis and the bio-data of members alongwith relevant experience were sent for suitable placement. Information was imparted to the visiting members on the vacancies / opportunities available for Company Secretaries on all-India basis. Requests from several public sector/ private organisations for the post of Company Secretaries were promptly attended to. Organisations advertising only for CA, ICWA and MBA(Finance), were requested to recruit/ consider Company Secretaries in view of their role as integrated corporate managers. Positive feedback was received from several members who were called for interviews and suitably placed on being sponsored by the Institute.

11. ACCOUNTS

11.1 Surplus

Transfer of surplus of income over expenditure to General Reserve has been made for Rs.59.20 lacs in the year under review as compared to Rs. 181.84 lacs transferred in the previous year of 1998-99.

11.2 Reserves

(a) Capital Reserve

The Capital Reserve to which the entrance fee received from members is capitalised, stood at Rs.55.12 lacs as on 31st March, 2000 as against Rs.52.74 lacs as on 31st March, 1999.

(b) General Reserve

The General Reserve which stood at Rs.1823.90 lacs as on 31st March, 1999 has risen to Rs. 2140.66 lacs as on 31st March, 2000.

11.3 Statutory Auditors

M/s. Khanna & Annadhanam, Chartered Accountants, New Delhi were re-appointed as Statutory Auditors of the Institute for the year ended 31st March, 2000 pursuant to the requirement of Section 18(4) of the Company Secretaries Act, 1980. The Auditors Report is published along with the statements of accounts.

12. LAND AND BUILDINGS

12.1 ICSI-EIRC Building

During the year, EIRC acquired its own premises at 3-A, Ahiripukur 1st Lane, Calcutta – 700 019.

12.2 Faridabad Chapter Land

The Chapter had purchased a plot of land measuring 500 Sq. yards at a total cost of Rs.3.65 lacs In Sector 16-A, Faridabad from Haryana Urban Development Authority(HUDA). The allotment letter and letter of possession

had been issued by HUDA to the Chapter but the possession of the plot could not be handed over by HUDA due to an old dispute over the property. The HUDA authorities at Faridabad have now identified and allotted another plot of land to Faridabad Chapter, subject to its approval and demarcation by the Chief Administrator, HUDA, Chandigarh. The approval of the Chief Administrator, HUDA with demarcation of the newly allotted site is expected in due course and thereafter, possession of the land will be handed over by the HUDA authorities at Faridabad to Faridabad Chapter.

12.3 ICSI's new building at NOIDA

The Institute had purchased a plot of land in Sector-62, Phase II, Noida to meet its growing needs for the office space. The construction of the building has been entrusted to NBCC. The building is nearing completion and has five floors, basement, ground + 3 floors. The total constructed area of the building is approx. 20,000 Sq. Ft. The building is expected to be operational shortly and soon after the installation of the electricity and water connections, work on which is in progress. It is proposed to re-locate some of the activities of the Institute to the newly constructed building to provide better services to the members and students at large.

13. CAPITAL GRANT AND LOANS TO THE CHAPTERS

Total grant and loan given by the Institute to the Regional Councils and Chapters for acquiring their own office premises as on 31st March, 2000 are as follows : -

(a) Grant Rs.112.34 lacs.
(b) Loan Rs.238.24 lacs.

The endeavour of the Institute has been to extend a major helping hand and supplement the Regional Councils and Chapters in their efforts to acquire premises. A number of Regional Councils and Chapters have made commendable efforts to raise their share of the resources for premises/ building projects. The Council places on record its appreciation of such efforts by these Regional Councils/ Chapters.

14. COMPANY SECRETARIES BENEVOLENT FUND

14.1 Growth of CSBF Members

The CSBF had a life membership of 2993 Nos. as on 31st March, 2000.The membership has shown a gradual increase over the years. The Capital Reserve and General Reserve of the Fund as on 31st March, 2000 stood at Rs.89.40 lacs and Rs.26.70 lacs respectively.

14.2 Efforts are continuing to enroll more number of members for the Fund. This will enable the Fund to provide better financial benefits to the members in financial distress and their families on account of death, prolonged illness, accident, etc. This is a self insurance measure. Life Membership fee of Rs.1000 is exempt under Section 80-G of the Income Tax Act, 1961. It is heartening to note that due to fresh initiatives taken, new enrolments are now showing an encouraging trend.

15. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

15.1 Human Resource Development has a direct impact on overall performance of the Institute and as such, it continued to receive focussed attention of the Management of the Institute. In fact, optimum utilisation of all resources of the Institute for providing efficient and cost effective services to the members, students and other clients in the highly competitive corporate world of today depends on the capacity and capability of its human resources in terms of application of knowledge into action with use of latest technology.

Having this in mind, officers and staff of the Institute were nominated to a variety of HRD programmes to enable them to upgrade their knowledge and equip themselves with technical and managerial skills including adoption of innovative techniques emerging in the area of information technology. Apart from this, to give impetus to the use of innovative techniques in the area of information technology and make effective utilisation of human resources with a view to providing better services to the clients, a separate Director(IT) had been appointed to strengthen the Institute's operations in this area.

15.2 Employee Relations and Welfare

Harmonious relations between the employees and the employer is a paramount need for rendering efficient and cost effective services to various clients. Keeping this in view, cordial relationship was maintained with ICSI Employees Union. As a result, the ICSI Employees Union extended their full co-operation in improving the quality of services by promoting computer culture whole-heartedly in the Institute.

Further to promote brotherhood and generate atmosphere of mutual understanding and co-operation in the Institute, various welfare activities were undertaken by the ICSI Employees Club and the ICSI Employees Thrift and Credit Society.

16. FUTURE OUTLOOK

16.1 In a gradually globalising world trade order, there are consequential secretarial challenges emerging in trade and commerce. Similarly, on account of a gradual, but very pronounced shift towards electronic commerce, there are attendant implications for secretarial practices attached to internally accepted norms of corporate governance. In such a scenario, whether a profession is big or small, old or new, its well-being depends on its ability to adapt. A need is clearly visible for every professional to join forces for sharing resources and information. When all strengths work together, the rewards are much greater. The new breed of corporate professionals are required to be flexible and agile to respond and to deliver the best possible solutions, to very fresh challenges. There is also a need to invest more in acquiring updated information and knowledge to reach greater heights of competitiveness.

In this direction, the Institute is making all-round efforts to ensure proper development and growth of the profession of Company Secretaries in India.

Needless to add, it is only the commitment, hard work, vision and knowledge of all concerned that will determine how much benefit one would reap from the efforts in today's cyber environment.

17. ACKNOWLEDGEMENTS

The Council places on record its gratitude to Ministries and Offices of the Central Government, particularly Department of Company Affairs and SEBI, and other regulatory authorities for their help, guidance and support to the development of the profession and the activities of the Institute during the year. The Council is also grateful to various State Governments, Financial/Industrial/ Investment Institutions/Corporate Sector in general and various Chambers of Commerce, Trade Associations and other Agencies which have shown their inclination in availing of the services of members of the Institute and recognised their expertise.

The Council also places on record its deep appreciation to the members of the Perspective Planning Group, Core Groups and the Syllabus Review Committee of the Institute. The Council places on record its thanks to Regional Councils and Chapters, including Satellite Chapters for extending their whole-hearted co-operation and assistance and also to the Officers and Staff of the Institute for their exemplary commitment and devotion to their duties.

For and on behalf of the Council

For and on behalf of the Council,
J. SRIDHAR, President

New Delhi
Date : 11.9.2000

[Advt./III/IV/Exty./121/2000]

APPENDIX 'A'

PROFESSIONAL DEVELOPMENT & CONTINUING EDUCATION PROGRAMMES (ANNEXURE TO POINT NO. 2.6)

1. Four-Day Participative Certificate Programme on Alternative Dispute Resolution at Chennai during April 7-10, 1999.
2. Two-Day Workshop on Systems Audit of Computerised Secretarial Functions at Delhi during April 9-10, 1999.
3. Three-Day Participative Certificate Programme on Alternative Dispute Resolutions at Mumbai during May 7-9, 1999.
4. Two-Day Participative Certificate Programme on 'Derivatives' through teleconference in collaboration with School of Management Studies, Indira Gandhi National Open University and National Stock Exchange, Mumbai at Delhi during May 22-23, 1999.
5. One-Day National Seminar on Intellectual Property – Imperative for Corporate Growth at Delhi on June 11, 1999.
6. Three-Day Participative Certificate Programme on Intellectual Property Rights at Chennai during June 24-26, 1999.
7. One-Day Participative Certificate Programme on E-Commerce jointly with Asset International at Delhi on July 31, 1999.
8. One-Day Participative Certificate programme on E-Commerce at Pune on August 18, 1999.

9. Two-Day First National Conference for Company Secretaries in Practice at Hyderabad during August 27-28, 1999.
10. Two-Day Executive Development Programme on Restructuring of Public Sector Enterprises – Issues, Reforms and Perspective jointly with Department of Public Enterprises at ICSI-CCRT, Belapur, Navi Mumbai during September 7-8, 1999.
11. One-Day Participative Certificate Programme on E-Commerce at Calcutta on September 11, 1999.
12. One-Day Participative Certificate Programme on E-Commerce at Hyderabad on September 18, 1999.
13. One-Day Participative Certificate Programme on E-Commerce at Bangalore on September 25, 1999.
14. Three-Day Participative Certificate Programme on Intellectual Property Rights during September 8-10, 1999.
15. One-Day Participative Certificate Programme on E-Commerce at Chennai on October 30, 1999.
16. Two-Day Participative Certificate Programme on Risk Management and Insurance at Delhi during October 29-30, 1999.
17. One-Day Participative Certificate Programme on Enterprise Resource Planning (ERP) at Delhi on November 13, 1999.
18. One-Day Programme on Derivatives at Hyderabad on November 27, 1999.
19. 27th National Convention and 4th International Conference of Company Secretaries on International Trade and Cyber Laws at New Delhi during December 9-11, 1999.
20. Three-Day Programme on Mergers and Acquisitions jointly with ASCI at Hyderabad during February 7-9, 2000.
21. Seminar on Companies Bill and Corporate Governance at New Delhi on February 26, 2000.
22. Four-Day Participative Certificate Programme on Alternative Dispute Resolution jointly with ICADR, New Delhi at New Delhi during February 28-March 2, 2000.

APPENDIX 'B'

COMMITTEES, EXPERT GROUPS AND ADVISORY BOARDS (ANNEXURE TO POINT NO. 3.3)

STANDING COMMITTEES

1. Disciplinary Committee

J Sridhar, President	Chairman
A Ramaswamy	Member
Harish K Vaid	Member

2. Examination Committee

P V S Jagan Mohan Rao, Vice-President	Chairman
S Gangopadhyay	Member
Pavan Kumar Vijay	Member

3. Executive Committee

J Sridhar, President	Chairman
P V S Jagan Mohan Rao, Vice-President	Member
Virender Ganda	Member
S Gangopadhyay	Member
A Ramaswamy	Member

2592 GI/2000—7

OTHER COMMITTEES

4. Professional Development Committee

J Sridhar, President	Chairman
Bipin S Acharya	Member
K Chandrasekaran	Member
B P Dhanuka	Member
Virender Ganda	Member
V Sreedharan	Member
Harish K Vaid	Member

5. Committee for Company Secretaries in Practice

Bipin S Acharya	Chairman
B P Dhanuka	Member
S D Israni (Dr.)	Member
V Sreedharan	Member

6. Training and Educational Facilities Committee

P V S Jagan Mohan Rao, Vice-President	Chairman
Naina R Desai (Mrs.)	Member
S Gangopadhyay	Member
S D Israni (Dr.)	Member
Kumar D Kapasi	Member
S Ramabadran	Member
Pavan Kumar Vijay	Member

7. Post Membership Qualification Course Committee

P V S Jagan Mohan Rao, Vice-President	Chairman
S Gangopadhyay	Member
Pavan Kumar Vijay	Member

8. Placement Committee

K Chandrasekaran	Chairman
Kumar D Kapasi	Member
Pavan Kumar Vijay	Member

9. Regulations Committee

J Sridhar, President	Chairman
Bipin S Acharya	Member
Naina R Desai (Mrs.)	Member
Virender Ganda	Member
S D Israni (Dr.)	Member
Kumar D Kapasi	Member
S Ramabadran	Member

10. Co-ordination Committee

J Sridhar, President	Chairman
P V S Jagan Mohan Rao, Vice-President	Member
B P Dhanuka	Member
Virender Ganda	Member
S D Israni (Dr.)	Member
Kumar D Kapasi	Member
P S Sarma (Dr.)	Member

11. Noida Building Committee

R N Bansal	Chairman
Girish Ahuja	Member
Virender Ganda	Member
N K Jain	Member
R K Pandey	Member
Harish K Vaid	Member
N K Aggarwal, Additional Secretary, ICSI	Member-Secretary
EX-OFFICIO MEMBERS J Sridhar, President, ICSI P V S Jagan Mohan Rao, Vice-President, ICSI S P Narang (Dr.), Secretary, ICSI	

12. CCRT Management Committee

J Sridhar, President	Chairman
P V S Jagan Mohan Rao, Vice-President	Member
Naina R Desai (Mrs.)	Member
Virender Ganda	Member
S Gangopadhyay	Member
S D Israni (Dr.)	Member
Kumar D Kapasi	Member
A Ramaswamy	Member
S P Narang(Dr.), Secretary, ICSI	Member
Padmakar Asthana (Dr.), Dean, CCRT	Member-Secretary

13. Computer Committee

Pavan Kumar Vijay	Chairman
K Chandrasekaran	Member
Kumar D Kapasi	Member

14. Election Committee

Shri Bipin S Acharya	Chairman

15. Editorial Advisory Board

S Balasubramanian	Chairman
B D Bishnoi	Member
Jyotsna Diesh (Mrs.)	Member
Anoop Mishra	Member
U C Nahata	Member
R K Pandey	Member
Kalyan Raipuria (Dr.)	Member
T R Rustagi	Member
Harish K Vaid	Member
S K Verma (Prof.) (Mrs.)	Member
S P Narang (Dr.), Secretary, ICSI	Member-Secretary

16. Expert Advisory Group

R N Bansal	Chairman
U K Chaudhary	Member
Ashok Chhabra	Member
Naina R Desai (Mrs.)	Member
S Gangopadhyay	Member
S D Israni (Dr.)	Member
R Krishnan	Member
S P Narang (Dr.), Secretary, ICSI	Member

17. CCRT Advisory Board

Hon'ble Mr. Justice M N Venkatachaliah	Honorary Chairman
N L Bhatia	Member
S H Bhojani	Member
Hon'be Mr. Justice Ashok A Desai	Member
N V Deshpande	Member
G P Gupta	Member
Mohinder N Kaura (Prof.)	Member
T S Krishna Murthy	Member
R A Mashelkar (Dr.)	Member
N L Mitra (Prof.)	Member
Rajan Nanda	Member
P V Narasimham	Member
C R Shah	Member
V H Pandya	Member
N Vittal	Member
EX-OFFICIO MEMBERS J Sridhar, President P V S Jagan Mohan Rao, Vice-President S P Narang (Dr.), Secretary, ICSI Padmakar Asthana (Dr.), Dean, CCRT	

APPENDIX 'C'

LIST OF EXAMINATION CENTRES DURING THE YEAR 1999-2000 (ANNEXURE TO POINT NO. 8.1)

1. Agra	2. Ahmedabad	3. Allahabad
4. Ambala City	5. Bangalore	6. Baroda
7. Bhopal	8. Bhubaneshwar	9. Calcutta
10. Chandigarh	11. Chennai	12. Coimbatore
13. Delhi(East)	14. Delhi(North)	15. Delhi(South)
16. Delhi(West)	17. Ernakulam	18. Ghaziabad
19. Guwahati	20. Hyderabad	21. Indore
22. Jaipur	23. Jammu	24. Jamshedpur
25. Jodhpur	26. Kanpur	27. Lucknow
28. Ludhiana	29. Madurai	30. Mangalore
31. Meerut	32. Mumbai(C)	33. Mumbai (M)
34. Mumbai (VP)	35. Mysore	36. Nagpur
37. Noida	38. Panaji	39. Patna
40. Pondicherry	41. Pune	42. Raipur
43. Rajkot	44. Ranchi	45. Shimla
46. Thiruvananthapuram	47. Tiruchirapalli	48. Udaipur
49. Vijayawada	50. Visakhapatnam	51. Yamuna Nagar
52. Overseas Centre - Dubai		

APPENDIX 'D'

STATISTICS ON EXAMINATION RESULTS (ANNEXURE TO POINT NO. 8.1)

JUNE, 1999 SESSION

STAGE OF EXAMINATION	NUMBER OF CANDIDATES			PASS PERCENTAGE
	ENROLLED	APPEARED	PASSED	
FOUNDATION	8030	6237	1086	17.41
INTERMEDIATE				
GROUP – I	17561	11107	1599	14.40
GROUP – II	16722	10680	1380	12.92
FINAL				
GROUP – I	3682	2579	796	30.86
GROUP – II	4325	2948	610	20.69

* 2421 candidates appeared for both groups, out of whom 178 candidates passed both groups (7.35%).

** 702 candidates appeared for both groups, out of whom 105 candidates passed both groups (14.96%)

DECEMBER, 1999 SESSION

STAGE OF EXAMINATION	NUMBER OF CANDIDATES			PASS PERCENTAGE
	ENROLLED	APPEARED	PASSED	
FOUNDATION	6609	5235	1179	22.52
INTERMEDIATE *				
GROUP – I	17404	10681	2014	18.86
GROUP – II	15833	9828	1416	14.41
FINAL **				
GROUP – I	4087	2910	1253	43.06
GROUP – II	4926	3423	724	21.15

* 2737 candidates appeared for both groups, out of whom 218 candidates passed both groups (7.96%).

** 905 candidates appeared for both groups, out of whom 173 candidates passed both groups (19.12%)

APPENDIX 'E'

POST MEMBERSHIP QUALIFICATION (PMQ) EXAMINATION RESULTS (ANNEXURE TO POINT NO. 8.2)

JUNE, 1999 SESSION

STAGE OF EXAMINATION	NUMBER OF CANDIDATES			PASS PERCENTAGE
	ENROLLED	APPEARED	PASSED	
GROUP - I	23	09	00	0.00
GROUP - II	10	05	00	0.00
7 candidates enrolled for both groups out of whom 3 candidates appeared in both groups and no one was declared passed in both groups.				

DECEMBER, 1999 SESSION

STAGE OF EXAMINATION	NUMBER OF CANDIDATES			PASS PERCENTAGE
	ENROLLED	APPEARED	PASSED	
GROUP - I	24	11	02	18.18
GROUP - II	07	02	00	0.00
6 candidates enrolled for both groups out of whom 1 candidate appeared in both groups and no one was declared passed in both groups.				

KHANNA & ANNADHANAM

CHARTERED ACCOUNTANTS

706 AKASH DEEP, 26-A BARAKHAMBA ROAD
P.O.BOX 648, NEW DELHI 110 001

AUDIT REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of the Insititute of Company Secretaries of India as at 31st March. 2000 and also the annexed Income & Expenditure Account for the year ended on that date and report that :

(a) we have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit

(b) the Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account; and

(c) the Balance Sheet and the Income & Expenditure Account drawn up, comply with the mandatory accounting standards to the extent they are applicable

(d) in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements read with notes and accounting policies attached thereto or appearing thereon, give true and fair view :-

(i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs as at 31st March, 2000 ;

(ii) in the case of of the Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

For **KHANNA & ANNADHANAM**
Chartered Accountants

(K A Balasubramanian)
Partner

Place: New Delhi
Dated: 11.9.2000

TELE: 3315110, 3310642 ; FAX: 91(11) 3739216, 3315119
e-mail : khanna@ndb.vsnl.net.in

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA
BALANCE SHEET

		As at 31st March		
			2000	1999
PARTICULARS	SCHEDULE	Rs.	Rs.	Rs.
SOURCES OF FUNDS				
Capital Reserve	1		5,511,870	5,274,370
General Reserve	2		214,065,838	182,390,264
Scientific Research Reserve	3		-	6,132,690
Hospitalisation Fund	4		-	8,386,000
TOTAL			**219,577,708**	**202,183,324**

APPLICATION OF FUNDS				
Fixed Assets	5			
Gross Block		124,695,964		70,245,180
Less : Depreciation		31,993,056		23,911,672
Net Block		92,702,908		46,333,508
Add : Advance for purchase of Land and Buildings under construction		16,401,132		36,727,694
			109,104,040	83,061,202
Investments	6		94,345,632	92,093,100
Current Assets, Loans and Advances				
Current Assets	7			
Interest accrued on investments		7,223,744		4,814,576
Stocks in hand		5,308,577		4,240,359
Sundry Debtors		777,495		408,729
Cash and Bank balances		40,331,763		59,219,953
		53,641,579		68,683,617
Loans and Advances	8	28,136,899		16,692,694
		81,778,478		85,376,311
Less: Current Liabilities and Provisions	9			
Liabilities		33,802,433		36,469,482
Provisions		31,848,009		21,877,807
Total		65,650,442		58,347,289
Net Current Assets			16,128,036	27,029,022
TOTAL			**219,577,708**	**202,183,324**

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS	15

As per our report of even date

For KHANNA & ANNADHANAM
Chartered Accountants

For and on behalf of the Council

(K.A. Balasubramanian)
Partner

Dr. SP Narang — **Secretary**
Dr. PVS Jagan Mohan Rao — **Vice-President**
J Sridhar — **President**

Place : New Delhi
Dated : 11.9.2000

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

PARTICULARS		SCHEDULE	For the year ended 31st March 2000 Rs.	For the year ended 31st March 1999 Rs.
INCOME				
Fees from Members and Students		10	88,392,295	98,301,124
Sale of Publications			8,004,841	8,148,920
Subscription to Journal/Bulletin and Advertisements			2,189,899	1,879,057
Interest on Investments (Gross) (Tax deducted at source 'Nil')			18,563,572	16,637,231
Income from Programmes			4,346,741	4,465,189
Scientific Research Activities (incl. CCRT)	@		2,261,624	-
Provision no longer required, written back			653,421	312,949
Others		11	846,121	650,428
TOTAL			**125,258,514**	**130,394,898**
EXPENDITURE				
Establishment	*	12	36,951,162	33,936,616
Postal Tuition			9,146,654	11,341,779
Publications and Office Stationery	*		2,551,131	2,793,245
Journal and Bulletins			6,821,820	7,340,714
Examinations			10,073,611	12,406,612
Communication	*	13	3,325,661	3,026,255
Grant to Regional Councils and Chapters			4,198,253	4,538,425
Regional Offices			1,129,495	924,185
Travelling and Conveyance	*		3,215,342	2,812,616
Student Scholarships and Awards			98,123	189,602
Professional Development Programmes and Training	**		4,590,184	3,082,493
Scientific Research Activities (incl. CCRT)	@		11,155,174	5,097,680
Others	*	14	9,297,497	9,877,752
Depreciation		5	5,577,687	5,642,308
Contribution to Co. Secy. Benevolent Fund			-	2,500,000
Contribution to Hospitalisation Trust			500,000	1,200,000
Provision for Voluntary Retirement Scheme			5,000,000	5,000,000
Provision for leave encashment			5,656,568	-
Provision for shortfall in the value of investments			50,039	500,581
			119,338,401	112,210,863
Excess of Income over Expenditure transferred to General Reserve			5,920,113	18,184,035
TOTAL			**125,258,514**	**130,394,898**

@ CCRT activities became operational w.e.f. 16.5.1999
* figures are after allocation to Scientific Research Activities
** includes Rs.4,02,000 (Previous Year Rs.8,44,835) allocated to NIRC

As per our report of even date
for KHANNA & ANNADHANAM
Chartered Accountants

For and on behalf of the Council

(K.A. Balasubramanian)
Partner

	Dr. S P Narang	Dr. PVS Jagan Mohan Rao	J Sridhar
Place: New Delhi	**Secretary**	**Vice-President**	**President**
Dated: 11.9.2000			

CAPITAL RESERVE ***SCHEDULE I***

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	31.3.2000		31.3.1999
As per last Balance Sheet		5,274,370	5,073,570
Add: Entrance Fees - Associate Members	192,300		160,200
- Fellow Members	45,200		40,600
		237,500	200,800
TOTAL		**5,511,870**	**5,274,370**

GENERAL RESERVE

SCHEDULE 2

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	31.3.2000		31.3.1999
As per last Balance Sheet		182,390,264	164,168,695
Add: - Contribution from Regional Councils/ Chapters for Land/ Buildings	15,961,570		1,737,534
- Transfer from Scientific Research Project Reserve on completion of the CCRT Project	9,793,891		-
- Transfer from Income and Expenditure Account	5,920,113		18,184,035
		31,675,574	19,921,569
Less: Adjustment of contribution in respect of old building set-off against consideration for new building		-	1,700,000
TOTAL		**214,065,838**	**182,390,264**

SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (CCRT) RESERVE

SCHEDULE 3

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	31.3.2000		31.3.1999
As per last Balance Sheet		6,132,690	4,021,656
Add: - Donations/ Contributions received	31,113,214		27,222,341
- Interest on earmarked funds	17,000		57,706
		31,130,214	27,280,047
Less: - Contributions from ICSI to WIRC adjusted against Loans/Advances (per contra - Schedule 8)	27,469,013		25,169,013
- Transfer to General Reserve on completion of the CCRT Project	9,793,891		-
		37,262,904	25,169,013
TOTAL		-	**6,132,690**

HOSPITALISATION FUND

SCHEDULE 4

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	31.3.2000		31.3.1999
As per last Balance Sheet		8,386,000	5,800,000
Add: - Interest earned on deposits	-		1,416,000
- Transfer from Income & Expenditure Account	-	-	1,200,000
		8,386,000	8,416,000
Less: Transfer to the ICSI Employees Hospitalisation Trust		8,386,000	30,000
TOTAL		-	**8,386,000**

SCHEDULE 5

SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS ON 31.3.2000

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Items	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		Cost as on 1.4.1999	Additions	Deletions	Total cost as on 31.3.2000	Total as on 1.4.1999	For the Year	Deletions	Total as on 31.3.2000	as on 31.3.2000	as on 31.3.1999
1.	Leasehold Land	10,474,485			10,474,485	-	-	-	-	10,474,485	10,474,485
2.	Buildings	35,543,581	39,452,548		74,996,129	9,902,278	3,254,693		13,156,971	61,839,158	25,641,303
3	Furniture & Fixtures	3,164,186	8,212,582	4,799	11,371,969	2,218,143	967,276	4,163	3,181,256	8,190,713	946,043
4.	Computer Network	10,852,612	1,402,527		12,255,139	5,889,274	2,566,948		8,456,222	3,798,917	4,963,337
5.	A.C. Installation and Coolers	1,561,010	3,144,618	8,164	4,697,464	1,051,026	556,433	6,561	1,600,898	3,096,566	509,984
6	Electrical Equipment	1,652,457	1,189,832	35,000	2,807,289	805,899	359,512	9,713	1,155,698	1,651,591	846,558
7.	Office and Communication Equipment	4,173,649	905,302	458,715	4,620,236	2,092,498	431,818	256,298	2,268,018	2,352,218	2,081,151
8.	Other Equipment	203,530	385,821		589,351	92,801	75,217		168,018	421,333	110,729
9.	Library Books	2,239,082			2,239,082	1,659,364	193,220		1,852,584	386,498	579,718
10.	Vehicles	380,588	615,140	350,908	644,820	200,388	124,246	171,243	153,391	491,429	180,200
	Current Year Total	**70,245,188**	**55,308,370**	**857,586**	**124,695,964**	**23,911,671**	**8,529,363**	**447,978**	**31,993,056**	**92,702,908**	**46,333,508**
	Previous Year Total	*63,832,203*	*6,493,164*	*80,187*	*70,245,180*	*1,823,121*	*5,642,308*	*53,757*	*7,411,672*	*46,333,508*	
	Advances (Work-in-Progress)										
1.	Land (Refer Note No.2 of financial notes)	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	300,000	300,000
2.	Buildings (under construction)	30,823,135	12,297,179	27,019,182	16,101,132	-	-	-	-	16,101,132	30,823,135
3.	Others	5,604,559	1,130,480	6,735,039	-	-	-	-	-	-	5,604,559
	Current Year Total	**36,727,694**	**13,427,659**	**33,754,221**	**16,401,132**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,401,132**	**36,727,694**
	Previous Year Total	*27,064,419*	*12,094,098*	*2,430,823*	*36,727,694*	-	-	-	-	*36,727,694*	-

NOTE: DEPRECIATION ON ALL ASSETS RELATING TO CCRT AMOUNTING TO RS.29,51,676 OUT OF THE TOTAL DEPRECIATION AMOUNT OF RS.85,29,363 HAS BEEN DEBITED TO SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIY EXPENSES

SCHEDULE 6

INVESTMENTS - AT COST

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	AS ON 31.3.1999	ADDITIONS	DELETIONS	AS ON 31.3.2000
(A) Fixed Deposits with Public Sector Undertakings				
- Steel Authority of India Ltd. (13.5%-14.5%)	12,900,000	-	-	12,900,000
- Minerals & Metals Trading Corporation (14.5%-15%)	5,500,000	-	-	5,500,000
- Housing and Urban Development Corporation (12-12.5%)	-	14,000,000		14,000,000
- Housing and Urban Development Corporation (12%)	-	50,000		50,000 *
Total (A)	**18,400,000**	**14,050,000**	**-**	**32,450,000**
(B) Bonds of Banks/Public Sector Undertakings/Financial Institutions				
6000 (Previous Year 6000), 14.5% Bonds of Rs 1000 each of State Bank of India	5,757,500	-	-	5,757,500
NIL (Previous Year 9000), 17% Bonds of Rs.1000 each of National Hydro Power Corporation Ltd.	9,000,000	-	9,000,000	-
45 (Previous Year 45), 16%-16.5% Bonds of Rs.1 lac each of Steel Authority of India Limited	4,500,000	-	-	4,500,000
200 (Previous Year 200), Zero Coupon Bonds of Rs.1 lac each of Industrial Development Bank of India	15,761,594	2,482,451	-	18,244,045
600 (Previous Year NIL), 14% Bonds of Rs.10000 each of Industrial Development Bank of India	6,000,000	-	-	6,000,000
800 (Previous Year NIL), 14% Bonds of Rs.5000 each of Industrial Development Bank of India	4,000,000	-	-	4,000,000
260 (Previous Year NIL), 12 75% Bonds of Rs.5000 each of Industrial Development Bank of India	-	1,300,000	-	1,300,000
NIL (Previous Year 115), 15.5-16.5% Bonds of Rs.1 lac each of Industrial Finance Corpn. of India	11,500,000	-	11,500,000	-
800 (Previous Year 800), 15.5% Bonds of Rs.5000 each of Industrial Finance Corpn. of India	4,000,000	-	-	4,000,000
1000 (Previous Year NIL), 13.5% Bonds of Rs.5000 each of Industrial Credit and Investment Corpn. of India Ltd.	5,000,000	-	-	5,000,000
NIL (Previous Year 30), 15.5% Bonds of Rs.1000 each of Industrial Credit and Investment Corpn. of India Ltd.	29,880	-	29,880	-
89 (Previous Year 89), 15.5% Bonds of Rs.10,000 each of Industrial Credit and Investment Corpn. of India Ltd.	890,000	-	-	890,000
200 (Previous Year 200), 16% Bonds of Rs.5,000 each of Industrial Credit and Investment Corpn. of India Ltd. (erstwhile Shipping Credit & Inv. Corpn of India Ltd.)	1,000,000	-	-	1,000,000
1000 (Previous Year NIL), 12.1% Bonds of Rs.5000 each of Industrial Credit and Investment Corpn. of India Ltd.	-	5,000,000	-	5,000,000
1000 (Previous Year 1,000), 16 5% Bonds of Rs.1,000 each of Indian Railway Finance Corporation Ltd.	980,000	-	-	980,000
Total (B)	**68,418,974**	**8,782,451**	**20,529,880**	**56,671,545**

(C) Units (under US-64 Scheme) of the Unit Trust of India				
- 345983 Units (Previous Year 345983)	5,621,129	-	-	5,621,129
- 10610 Units (Previous Year 10610)	153,578	-	-	153,578 *
	5,774,707	-	-	5,774,707 @
Less: Provision for fall in the value of Units	(500,581)	-	(50,039)	(550,620)
Total (C)	**5,274,126**	-	**(50,039)**	**5,224,087**
GRAND TOTAL (A+B+C)	**92,093,100**	**22,832,451**	**20,479,841**	**94,345,632**

* earmarked for Prize Awards (per contra - Schedule 9)

@ market value of Units under US-64 Scheme of Unit Trust of India as on 31.3.2000 was Rs.52,24,087

CURRENT ASSETS

SCHEDULE 7

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	31.3.2000		31.3.1999
Interest Accrued on Investments		7,223,744	4,814,576
Stock (valued, taken and certified by the Management)			
Publications	283,339		333,969
Paper	4,243,224		3,334,300
Study Material	234,945		189,750
Others	547,069		382,340
		5,308,577	4,240,359
Sundry Debtors (Unsecured)			
Outstanding for more than six months			
- considered good	95,652		88,505
- considered doubtful	63,515		76,500
	159,167		165,005
Others (considered good)	681,843		320,224
	841,010		485,229
Less: Provision for Bad & Doubtful Debts	63,515		76,500
		777,495	408,729
Cash and Bank Balances			
Cash, Cheques/ Drafts/Postal Orders,			
Postage Stamps/ Franking units	428,575		710,451
With Scheduled Banks			
Savings Bank accounts *	4,933,253		12,019,324
Short/Long Term Deposits **			
{including Rs.12,177 (Previous Year Rs.20,642) for Prize Awards (per contra - Schedule 9) **and** Rs. 'Nil' (Previous Year Rs.58 lacs) for Hosp. Fund}	26,907,019		41,227,284
Interest accrued on Term Deposits	8,062,916		5,262,894
		40,331,763	59,219,953
TOTAL		**53,641,579**	**68,683,617**

* includes net Rs.1,60,254 (Previous Year balance Rs.10,42,151) } earmarked for Scientific Research

** includes Rs.4,00,000 (Previous Year Rs.5,00,000) } Project (CCRT) at Navi Mumbai

LOANS AND ADVANCES

SCHEDULE 8

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	31.3.2000		31.3.1999
Loans			
Regional Councils/Chapters for buildings		46,561,795	30,232,444
Advances.			
Employees (including interest accrued thereon)	3,921,532		3,650,314
Regional Councils/ Chapters	2,499,118		3,734,769
Others	1,016,983		2,893,242
		7,437,633	10,278,325
Prepaid Expenses		363,854	196,213
Sundry Deposits		1,242,630	1,154,725
		55,605,912	41,861,707
Less: Contribution from ICSI to WIRC adjusted to Scientific Research Project (per contra - Schedule 3)		27,469,013	25,169,013
TOTAL		**28,136,899**	**16,692,694**

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

SCHEDULE 9

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	31.3.2000		31.3.1999
Liabilities			
Received in Advance			
- Student Registration Fee	22,153,540		25,005,620
- Others	97,609		460,993
Payable to Regional Councils/ Chapters	2,082,100		985,825
Sundry Creditors	1,463,369		711,158
Expense Payable	3,745,147		6,083,209
Benevolent Funds			
- Company Secretaries	2,195,236		2,518,404
- Employees	593,970		494,018
Deposit for prize awards (per contra - Schedules 6 & 7)	215,755		210,255
Trusts	1,255,707		
Provisions		33,802,433	36,469,482
Other benefits to be extended as per recommendations of 5th Pay Commision	2,108,733		4,893,733
Voluntary Retirement Scheme	15,000,000		10,000,000
Property Tax	4,653,291		4,215,376
Leave encashment	6,598,168		941,600
Write-off of Assets	538,353		323,295
Others	2,949,464		1,503,803
		31,848,009	21,877,807
TOTAL		**65,650,442**	**58,347,289**

FEES FROM MEMBERS AND STUDENTS

SCHEDULE 10

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	1999-2000		1998-99
Members			
Annual Fees	3,467,025		3,152,575
Other Fees	18,550		22,350
		3,485,575	3,174,925
Students			
Registration Fees	16,838,815		17,015,267
Exemption Fees	2,281,611		2,899,348
Postal Tuition Fees	39,907,522		50,021,229
Examination Fees	25,170,967		24,461,548
Licentiate Fees	160,250		138,510
Others (including PMQ)	547,555		590,297
		84,906,720	95,126,199
TOTAL		**88,392,295**	**98,301,124**

OTHER INCOMES

SCHEDULE 11

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	1999-2000	1998-99
Incentive on Investments	170,685	97,675
Profit on sale of Investments	297,620	133,848
Interest on staff advances	349,170	327,003
Expert Advisory Services	5,000	-
Surplus on disposal of Assets	213	13,036
Miscellaneous	23,433	78,866
TOTAL	**846,121**	**650,428**

ESTABLISHMENT

SCHEDULE 12

(Amount in Rs.)

PARTICULARS		1999-2000		1998-99
Salaries and Allowances			34,118,660	31,598,704
Contribution to: Provident Fund		1,870,383		2,297,235
Gratuity Fund		1,617,205		1,019,644
Pension Fund		1,273,000		175,742
Post-retirement Medical Scheme		-		34,080
	3,526,701		4,760,588	3,526,701
Staff Welfare *			1,993,488	2,649,727
			40,872,736	37,775,132
Less: Allocated to Scientific Research Activities			3,921,574	3,838,516
NET			**36,951,162**	**33,936,616**

* includes 'Nil' (Previous Year Rs.5,00,000) as grant to Employees Benevolent Fund

COMMUNICATION — SCHEDULE 13

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	1999-2000		1998-99
Postage and Courier	2,710,811		2,554,661
Telephone, Fax, E-mail, etc.	919,288		896,818
		3,630,099	3,451,479
Less: Allocated to Scientific Research Activities		304,438	425,224
NET		**3,325,661**	**3,026,255**

OTHER EXPENSES — SCHEDULE 14

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	1999-2000		1998-99
Advertisement and Career Awareness		874,033	1,139,336
Rent and Taxes		1,442,956	1,538,631
Electricity and Water		2,188,498	2,085,248
Insurance		73,957	64,085
Repairs and Maintenance			
- Buildings	407,283		873,020
- Machines/ Equipment	503,346		472,147
- Vehicles	133,610		118,153
		1,044,239	1,463,320
Legal and Professional Charges		287,010	274,154
Office Expenses		2,007,998	1,907,564
Computerisation			
- Data Processing	393,404		699,686
- Software	787,405		662,942
		1,180,809	1,362,628
Meetings		175,900	213,879
Packing, Cartage and Freight		234,883	195,257
Loss on Sale/ Disposal of Assets		111,456	20,566
Interest Paid		5,509	121,540
Bank Charges		71,930	72,140
Auditors Remuneration			
- Audit Fees	63,000		52,500
- Other Services	25,000		25,000
		88,000	77,500
Provision for Doubtful Debts		-	33,450
Loss on Redemption of Investments		22,500	-
Obsolescence of Assets		215,058	-
Commission on sale of Publications		68,200	-
		10,092,936	10,569,298
Less: Allocated to Scientific Research Activities		795,439	691,546
NET		**9,297,497**	**9,877,752**

* includes Rs 3,90,258 (Previous Year Rs.6,35,933) towards Property Tax in respect of buildings at Prasad Nagar and Lodi Road

SCHEDULE 15

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(A) ACCOUNTING POLICIES

1. **Donations and Contributions by Regional Councils/Chapters**
Direct donations and contributions made by Regional Councils/Chapters towards purchase of land / buildings and other assets are taken to General Reserve.

2. **Fees**
   (a) Entrance Fee from Associate and Fellow Members is directly credited to "Capital Reserve" when received and no accrual thereof is created.
   (b) Fees received from members is accounted for on cash basis. However, fees received in advance is carried over as a liability.
   (c) Fees other than registration fees, received from students is accounted for on cash basis. Registration fees received is spread over a period of five years since the benefit accrues to student for a five year period.

3. **Investments**

Investments are stated at lower of cost or market value. In the case of Zero Coupon Bonds cost refers to the purchase price as increased by the relatable portion of the discount.

4. **Fixed Assets**

   (a) Depreciation on fixed assets is charged on written down value basis at the following rates:-

Items	%
Building	5
Furniture & Fixtures	10
Airconditioners/coolers and other equipment	15
Library Books	33.33
Vehicles	20
Computers	40

   (b) Depreciation on additions is charged for the full year irrespective of dates of additions. No depreciation is charged in the year of sale.
   (c) Fixed Assets, except library books, costing Rs.5000 or less are fully depreciated in the year of acquisition and those whose written down value is Rs.250 or less at the beginning of the year, are fully depreciated.
   (d) Premium paid on leasehold land is not amortized over the period of lease.

5. **Inventories**

   (a) Stock of paper and other materials are valued at cost.

   (b) Stock of study materials, publications, Journal / Bulletins and audio cassettes are valued at nominal cost of Re.1 for items costing upto Rs.50 and Rs.5 for items costing above Rs.50.

6. Employees Retirement and other benefits

(a) Contribution to Pension Fund Trust is made on the basis of actuarial valuation.
(b) Contribution to Gratuity Trust is made in accordance with the Group Gratuity Scheme with the Life Insurance Corporation of India.
(c) Provision for leave encashment is made on the basis of acturial valuation.

(B) NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

1. The Institute has received exemption certificate dated 23.02.1999 under Section 10(23c)(iv) of the Income Tax Act, 1961 upto the financial year 1999-2000. In view of the exemption available under the said section, no provision for tax has been made in the accounts.
2. Freehold land measuring 500 Sq. yards allotted by the Haryana Urban Development Authority (HUDA) at Faridabad to Faridabad Chapter of Institute at Rs.3.65 Lacs could not be handed over by HUDA due to some dispute in the title and the authorities had promised to allot alternative plot of land which had not been effected so far. Pending allotment of alternative site, a sum of Rs.3.65 Lacs paid till date (Rs.3 Lacs is reflected in Advances for purcahse of land in the Institute's books and Rs.0.65 lacs in the books of the Chapter) continues to be included under Advances.
3. Balance provision of Rs. 21.09 Lacs (previous year Rs.48.94 Lacs) created for arrears of salary and allowances has been retained towards probable increase in the pension payable to the Trust.
4. Following past practice, closing inventories of publications/ study materials have been , as a prudent measure, valued at nominal amount since these have no value except to students and that too only when purchased.
5. Provision for property tax of Rs.5.18 Lacs has been made in the accounts for Prasad Nagar building based on the demand raised by the Authority. Additional amount, if any, between the amount provided and that payable will be accounted for in the year when the matter is finally decided.
6. In respect of Pune Chapter's building costing Rs.8,19,950, the ICSI had entered into an agreement to sell, handed over the possession and received the sale consideration thereagainst. However, the conveyance deed in respect of the same remains to be executed.
7. The Institute was accounting for leave encashment on pay-as-you-go basis till last year. It has been decided, commencing from this year, to account for liability towards leave encashment on accrual basis, based on actuarial valuation. Consequent to this change, there is an additional charge to the Income & Expenditure Account of Rs.56.57 Lacs with consequential impact on accumulated reserves.
8. Pending formulation and recognition of a Voluntary Retirement Scheme a sum of Rs.150 Lacs set apart upto and inclusive of the year 1999-2000, from out of the surplus for the proposed Voluntary Retirement Scheme(VRS) to provide for voluntary retirement payments, is carried under Provisions.
9. Balances outstanding in advances recoverable account, loans to Regional Councils/Chapters are subject to confirmation.
10. Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to compare with current year's figures.
11. The accounts of Regional Councils and Chapters have not been consolidated as per past practice.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2000